

वर्ष 2020 में बढ़ती हुई महामारी की पृष्ठभूमि में जहां अधिकांश अन्य देशों ने अग्रिम आर्थिक प्रोत्साहन पैकेजों की शुरुआत की थी, वहीं भारत सरकार ने कोरोना से बेहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक भिन्न चुस्त नीति को अपनाया। कोविड-19 के प्रकोप के तुरंत बाद, भारत सरकार ने 2020-21 की दूसरी छमाही में आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज शुरू करने से पहले समाज के कमजोर वर्गों/छोटे व्यवसायों के लिए पहले सुरक्षा-जाल बनाने का विकल्प चुना। वित्तीय मोर्चे पर, 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही के दौरान पूंजीगत व्यय को रोक दिया गया था, जिसका कारण कंटेनमेंट क्षेत्रों में आवाजाही पर प्रतिबंध, और पूंजीगत कार्यों को निष्पादित करने के लिए ठेकेदारों/श्रमिकों की अनुपलब्धता थी। हालांकि, आवाजाही और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों में ढील के साथ, 2020-21 की तीसरी तिमाही में पूंजीगत व्यय को बढ़ा दिया गया था। इस प्रकार, 2020-21 से पूंजीगत व्यय को बढ़ाने की ओर प्रोत्साहन में परिवर्तन चालू वर्ष में भी जारी रहा है। वर्ष 2021-22 के दौरान अब तक घोषित प्रोत्साहन उपायों में तरलता बढ़ाने और निवेश बढ़ाने के उपाय जैसे पीएलआई योजना, क्रेडिट गारंटी योजनाएं और निर्यात बढ़ाने की पहल शामिल हैं।

चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में उछाल के साथ, अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां 67.2 प्रतिशत (वर्ष प्रति वर्ष) बढ़ी हैं, जबकि 2021-22 के बजट अनुमान में 9.6 प्रतिशत की अपेक्षित वृद्धि (2020-21 के अंतिम वास्तविक आंकड़े से अधिक) का अनुमान लगाया गया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों के कर संग्रह में उछाल के साथ-साथ गैर-कर (ऑन-टैक्स) राजस्व तथा सरकार को आरबीआई के अधिशेष हस्तांतरण ने राजस्व पूल में वृद्धि में योगदान दिया है। इस अवधि के दौरान सालाना आधार पर सकल कर राजस्व में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। यह प्रदर्शन न केवल पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, बल्कि 2019-20 के महामारी-पूर्व स्तरों की तुलना में भी अधिक है। कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद जून 2021 में गिरावट से जल्दी उभारने के बाद, सकल मासिक जी एस टी संग्रह जुलाई 2021 से लगातार 1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर रहा है। पहली लहर की तुलना में जीएसटी संग्रह पर कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रभाव बहुत अधिक नहीं था। चालू वर्ष के दौरान राजस्व निष्पादन में चल रहे सुधार का श्रेय पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लागू किए गए विभिन्न कर व्यवस्था और नीतिगत सुधारों के जरिए कर अनुपालन में वृद्धि को दिया जा सकता है।

सरकार द्वारा शुरू की गई नई सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति और संपत्ति मुद्रीकरण रणनीति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण और रणनीतिक विनिवेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता

की पुष्टि करती है। एयर इंडिया का निजीकरण, न केवल विनिवेश से प्राप्त होने वाली आय के मामले में बल्कि निजीकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है।

2021-22 के दौरान केंद्र सरकार की व्यय नीति में पूंजीगत व्यय पर जोर दिया गया है। बजट 2021-22 ने न केवल व्यय अनुमानों को बढ़ाया बल्कि उन्हें अधिक उत्पादक पूंजीगत व्यय की ओर भी निर्देशित किया। पूंजीगत व्यय 2021-22 की पहली तीन तिमाहियों में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान, सड़कों और राजमार्गों, रेलवे, और आवास और शहरी मामलों जैसे अवसंरचना-केंद्रित क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ, पूंजीगत व्यय में सालाना आधार पर 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि विशेष रूप से पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान पंजीकृत पूंजीगत व्यय में वर्ष-दर-वर्ष उच्च वृद्धि को देखते हुए दृढ़ है। इसके अलावा, केंद्र ने राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन भी दिए हैं।

भारत सरकार द्वारा दीर्घकालीन राजस्व संग्रह और एक लक्षित व्यय नीति के कारण, अप्रैल से नवंबर 2021 में राजकोषीय घाटा बीई के 46.2 प्रतिशत पर समाहित किया गया है जो कि पिछले दो वर्षों (अप्रैल-नवंबर 2020 में बीई का 135.1% और अप्रैल-नवंबर 2019 में बीई का 114.8%) की इसी अवधि के दौरान प्राप्त अनुपात का लगभग एक तिहाई है। चालू वर्ष में बजटीय राजकोषीय घाटा अधिक यथार्थवादी था क्योंकि इसने कई ऑफ-बजट मदों को बजट आवंटन के भीतर लाया जैसे कि एफसीआई की खाद्य सब्सिडी आवश्यकताएं। कोविड-19 के कारण बढ़ी हुई उधारी के साथ, केंद्र सरकार का ऋण 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद के 49.1 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का 59.3 प्रतिशत हो गया है, लेकिन अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ ही केंद्र सरकार के ऋण में कमी आने की उम्मीद है। महामारी वर्ष 2020-21 के दौरान घाटे और ऋण संकेतकों में वृद्धि के बाद, सामान्य सरकारी वित्त में भी 2021-22 के दौरान समेकन देखने की उम्मीद है।

## परिचय

2.1 पिछले दो वर्षों में, राजकोषीय नीति महामारी से उपजी आर्थिक गिरावट को दूर करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण बनी हुई है। भारत सरकार ने महामारी के लिए एक कैलिब्रेटेड राजकोषीय नीति व दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें स्थिति के अनुरूप समाज/फर्मों के कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने की बात कही गयी थी। वर्ष 2020 में बढ़ती हुई महामारी की पृष्ठभूमि में जहां अधिकांश अन्य देशों ने आर्थिक प्रोत्साहन पैकेजों की शुरुआत की थी<sup>1</sup>, वहीं भारत सरकार ने कोरोना से बेहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक भिन्न चुस्त नीति को अपनाया। इस तरह के एक समावेशी दृष्टिकोण को अब नीतिगत हलकों (आईएमएफ राजकोषीय निगरानी (मॉनिटर) अक्टूबर 2021) में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।

2.2 यह अध्याय महामारी के प्रकोप के बाद भारत में राजकोषीय विकास की समीक्षा करता है। यह चालू वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय नीति रणनीति और राजकोषीय मापदंडों के प्रदर्शन की चर्चा के साथ शुरू होता है, इसके बाद केंद्र, राज्य और सामान्य सरकार के वित्त में-मध्यम से लंबी अवधि के रुझान का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। यह अध्याय सरकारी खर्च की दक्षता बढ़ाने के लिए नीतिगत उपायों पर चर्चा के साथ समाप्त होता है।


<sup>1</sup> समीक्षा के अध्याय 1 में वाटरफाल स्ट्रेटेजी की व्याख्या की गई है।

## महामारी के बाद की वित्तीय नीति की रणनीति

2.3 बढ़ती हुई महामारी की अनिश्चितता के बीच भारत सरकार द्वारा अपनाई गई चुस्त राजकोषीय नीति में प्रोत्साहन उपायों में परिवर्तन शामिल है। महामारी के प्रारंभिक चरण में, राजकोषीय नीति के जरिए समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सबसे खराब स्थिति के परिणामों से बचाने के लिए सुरक्षा-जाल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। जहां कमजोर वर्गों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, छोटे व्यवसायों को आपातकालीन ऋण, और 80.96 करोड़ लाभार्थियों को लक्षित करने वाले दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम जैसे प्रोत्साहन उपायों ने लोगों की भरपूर मदद की है, वहीं यह सुनिश्चित भी किया जा सका कि अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी न होने पाए। इसके बाद पूरे वर्ष 2020-21 में प्रोत्साहन पैकेजों की एक श्रृंखला निकाली गई, जो स्थिति के अनुरूप बेज द्वारा सूचना को अद्यतन करने से प्रेरित थी। आर्थिक गतिविधियों की बहाली के साथ ही राजकोषीय नीति का फोकस अर्थव्यवस्था में मांग को उत्प्रेरित करने पर था। आर्थिक सुधार के इस चरण के दौरान, प्रोत्साहन का फोकस उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई), अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कदम और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय बढ़ाने जैसे निवेश बढ़ाने के उपायों की ओर रहा। (चित्र 2ए से 2डी) ।

2.4. वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में पूंजीगत व्यय पर यह बढ़ा हुआ फोकस भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के खिलाफ अपनाई गई उत्तरदायी राजकोषीय प्रतिक्रिया को दर्शाता है। कंटेनमेंट क्षेत्रों में आवाजाही पर प्रतिबंध, और ठेकेदारों एवं श्रमिकों की अनिच्छा या काम करने में असमर्थता के कारण, तिमाही पूंजीगत व्यय को 2020-21 की पहली दो तिमाहियों के दौरान रोक दिया गया था। 2020-21 की तीसरी तिमाही में आवाजाही और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों में ढील के साथ, अर्थव्यवस्था पर सबसे सकारात्मक प्रभाव वाले क्षेत्रों में व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत व्यय को आगे बढ़ाया गया। चालू वित्त वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित किया गया है, क्योंकि पूंजीगत व्यय 2021-22 की पहली तीन तिमाहियों (चित्र 1) के दौरान बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चित्र 1: तिमाही पूंजीगत व्यय में रुझान




स्रोत: सीजीए मासिक लेखा


नोट: Q3 वित्त वर्ष 2021-22 के अनुमान में दिसंबर 2021 के फ्लैश आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

2.5 उसी दृष्टिकोण पर चलते हुए, केंद्रीय बजट 2021-22 ने अधिक उत्पादक पूंजीगत व्यय के लिए बजट परिव्यय में वृद्धि की थी। रेलवे, सड़क, शहरी परिवहन, बिजली, दूरसंचार, कपड़ा और क्वायती आवास पर जोर देने के साथ-साथ राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर निरंतर ध्यान देते हुए सरकार ने बजट अनुमान 2020-21 में पूंजीगत व्यय में 34.5 प्रतिशत की वृद्धि का बजट रखा। 6835 परियोजनाओं को कवर करने वाली राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का विस्तार 2021-22 के बजट में 7,400 परियोजनाओं तक कर दिया गया था। अक्षय ऊर्जा, भारी उद्योग, कृषि, मोटर वाहन और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण क्षमता को अनलॉक करने के लिए, बजट 2021-22 ने 13 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाएं शुरू कीं, जिसमें 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय प्रावधान किया गया था। इसकी शुरुआत 2021-22 में की गई थी। इन सभी प्रयासों से सामूहिक रूप से रोजगार पैदा होने और मध्यम से लंबी अवधि में गुणक-प्रभावों के माध्यम से उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वर्ष 2021-22 के दौरान घोषित प्रोत्साहन उपायों ने गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के अलावा, तरलता बढ़ाने और निवेश बढ़ाने के उपायों जैसे पीएलआई योजना, क्रेडिट गारंटी योजनाओं और अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए निर्यात बढ़ाने की पहल पर जोर देना जारी रखा है (चित्रा 2ई)। विवरण बॉक्स 1 में देखा जा सकता है। त्वरित दृष्टिकोण के अनुरूप इस मिश्रण को विकसित स्थिति की आवश्यकता के अनुसार फिर से बदला जा सकता है।

चित्र 2: 2020-21 और 2021-22 में प्रोत्साहन घोषणाएं



## 2ई. जून से दिसंबर 2021 ( ₹ 6,97,338 करोड़ )



स्रोत: पीआईबी

नोट: जून से दिसंबर 2021 तक प्रोत्साहन घोषणाओं का विवरण बाक्स 1 पर देखा जा सकता है

## बॉक्स 1: 2021-22 के दौरान घोषित प्रोत्साहन

कोविड-19 की दूसरी लहर के झटके के प्रभाव को कम करने और अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए, भारत सरकार ने 2021-22 में अतिरिक्त राहत उपायों की घोषणा की, जिन्हें नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध किया गया है। इन उपायों को गरीब एवं कमजोर लोगों और क्षेत्रों को आर्थिक राहत प्रदान करने, स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और विकास एवं रोजगार को गति प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।

सुधारों का विवरण	राशि ( ₹ करोड़ )
<b>जून 2021 ( ₹ 6.28 लाख करोड़ )</b>	
<b>कोविड-19 राहत के लिए प्रोत्साहन पैकेज</b>	<b>6,28,993</b>
कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना	1,10,000
आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस)	1,50,000
सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना	7,500
पर्यटक गाइड/हितधारकों के लिए योजना	-
5 लाख पर्यटकों को एक महीने का मुफ्त पर्यटक वीजा	100
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार	-
डी ए पी और पी एंड के उर्वरकों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी	14,775
पीएमजीकेवाई के तहत मुफ्त खाद्यान्न (मई से नवंबर, 2021)	93,869
जन स्वास्थ्य के लिए नई योजना	15,000
जलवायु अनुकूल विशेष लक्षण किस्मों का विमोचन	-
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (एनईआरएएमएसी) का पुनरुद्धार	77
एनईआईई के माध्यम से परियोजना निर्यात को बढ़ावा देना	33,000
निर्यात बीमा कवर को बढ़ावा	88,000
भारतनेट पीपीपी मॉडल के माध्यम से प्रत्येक गांव में ब्रॉडबैंड	19,041

बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना के कार्यकाल का विस्तार

रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट लिंकड पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम (बजट घोषणा) 97,631

### जुलाई 2021 (₹ 23,123 करोड़)

भारत COVID-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी (केंद्र का हिस्सा ₹ 15,000 करोड़; पैकेज: चरण-II राज्य का हिस्सा 8,123 करोड़ रुपये)

### दिसंबर 2021 (₹ 53,344 करोड़)


पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार (दिसंबर 2021-मार्च 2022) 53344.5

स्रोत: पीआईबी


## 2021-22 के दौरान राजकोषीय संकेतकों का प्रदर्शन

2.6 यह खंड अप्रैल से नवंबर 2021 की अवधि के लिए राजकोषीय संकेतकों और उनके घटकों के प्रदर्शन का विश्लेषण करता है। लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी अप्रैल से नवंबर 2021 के सरकारी लेखा के आंकड़े बताते हैं कि केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा नवंबर 2021 के अंत में बीई का 46.2 प्रतिशत था, जो 2020-21 में इसी अवधि के दौरान 135.1 प्रतिशत और 2019-20 में इसी अवधि के दौरान 114.8 प्रतिशत था (चित्र 4)। इस अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा दोनों यह पिछले दो वर्षों के इसी स्तर से काफी नीचे ही रहे हैं। अप्रैल से नवंबर 2021 की अवधि के दौरान प्राथमिक घाटा अप्रैल से नवंबर 2019 के दौरान उस स्तर से लगभग आधा हो गया, जिस पर यह पहुंच गया था (चित्र 3)।

चित्र 3: राजकोषीय घाटे और प्राथमिक घाटे में रुझान



चित्र 4: बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा



स्रोत: सीजीए मासिक लेखा

तालिका 1: 2021-22 के लिए अनंतिम परिणाम (अप्रैल से नवंबर 2021)

	2021-22 बी ई	₹ लाख करोड़ में		संबंधित बी ई का प्रतिशत		वर्ष दर वर्ष संवृद्धि (प्रतिशत)		
		2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	वित्त वर्ष 21 ओवर 20	वित्त वर्ष 22 ओवर 21	वित्त वर्ष 22 ओवर 20
1 राजस्व प्राप्तियां	17.88	8.13	13.59	40.2	76.0	-17.3	67.2	38.2
2 सकल कर राजस्व	22.17	10.26	15.42	42.3	69.5	-12.6	50.3	31.3
3 राज्यों को समनुदेशन	6.66	3.34	4.03	42.6	60.5	-20.7	20.4	-4.5
4 कर राजस्व (केंद्र से निवल)	15.45	6.88	11.35	42.1	73.5	-8.3	64.9	51.2
5 गैर कर राजस्व	2.43	1.24	2.23	32.3	91.8	-46.6	79.5	-4.1
6 गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	1.88	0.18	0.21	8.1	11.0	-37.5	14.1	-28.6
7 गैर ऋण प्राप्तियां	19.76	8.31	13.79	37.0	69.8	-17.9	66.0	36.2
8 कुल व्यय	34.83	19.06	20.75	62.7	59.6	4.7	8.8	14.0
9 राजस्व व्यय	29.29	16.65	18.01	63.3	61.5	3.7	8.2	12.1
10 पूंजीगत व्यय	5.54	2.41	2.74	58.5	49.4	12.8	13.5	28.0
11 राजस्व घाटा	11.41	8.52	4.43	139.9	38.8	36.8	-48.1	-28.9
12 राजकोषीय घाटा	15.07	10.76	6.96	135.1	46.2	33.1	-35.3	-13.9
13 प्राथमिक घाटा	6.97	6.92	2.35	785.3	33.8	48.5	-66.0	-49.5

स्रोत: सीजीए मासिक लेखा; बीई: बजट अनुमान


## राजस्व संग्रह

2.7 केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल से नवंबर 2021 की अवधि में राजकोषीय स्थिति को मजबूत किया गया, जिसके पीछे राजस्व संग्रह में उछाल और पूंजीगत व्यय की ओर लक्षित राजस्व संग्रह और व्यय आवंटन मुख्य रूप कारण थे। चालू वित्त वर्ष (अप्रैल से नवंबर 2021) के दौरान पिछले दो वर्षों की इसी अवधि की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में बहुत अधिक गति से वृद्धि हुई है (तालिका 1)। यह प्रदर्शन कर और गैर-कर राजस्व दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण संभव हुआ है।

2.8 केंद्र को शुद्ध कर राजस्व, जिसे 2020-21 पीए के सापेक्ष 2021-22 बीई में 8.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की परिकल्पना की गई थी, अप्रैल से अक्टूबर 2020 की तुलना में अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान 64.9 प्रतिशत जबकि अप्रैल से नवंबर 2019 की तुलना में अप्रैल से अक्टूबर 2020 तक बढ़कर 51.2 प्रतिशत हो गया (तालिका 1)। कर राजस्व में यह बेहतर प्रदर्शन पिछले दो वर्षों की समान अवधि में सभी प्रमुख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों द्वारा दिखाई गई उच्च संवृद्धि के कारण है। प्रत्यक्ष करों के भीतर, व्यक्तिगत आयकर में अप्रैल-नवंबर 2019 में 29.2 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2020 में 47.2 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। कॉर्पोरेट आयकर में अप्रैल-नवंबर 2020 के दौरान 90.4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई जबकि अप्रैल-नवंबर 2019 में कॉर्पोरेट आयकर में 22.5 प्रतिशत की ही वृद्धि दर्ज हुई थी। (चित्र 5 और 6)।


2.9 विभिन्न कारकों, जिनके कारण कॉरपोरेट कर संग्रह में वृद्धि हुई है, उनमें कॉरपोरेट्स की लाभप्रदता में सुधार, अर्थव्यवस्था का नियमनिष्ठता और कर सुधारों के कारण बेहतर अनुपालन उल्लेखनीय हैं। आरबीआई के अनुसार, 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों (नमूना) के सकल लाभ में वृद्धि हुई थी जिसमें विनिर्माण क्षेत्र में 132.5 प्रतिशत और आईटी क्षेत्र में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 2021-22 की अगली तिमाही में, विनिर्माण क्षेत्र में सकल लाभ में 39.7 प्रतिशत और आईटी क्षेत्र में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न प्रत्यक्ष कर व्यवस्था और नीतिगत सुधारों (विवरण अनुलग्नक 1 में देखे जा सकते हैं) ने भी प्रत्यक्ष करदाताओं को कर संबंधी नियमों का अनुपालन को प्रेरित किया है। इस अध्याय को लिखते समय उपलब्ध आंकड़े इन कारकों के शुद्ध प्रभाव को सार्थक रूप से अलग करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

चित्र 5: अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान प्रमुख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि



स्रोत: सीजीए मासिक लेखा

चित्र 6: अप्रैल-नवंबर अवधि के दौरान प्रमुख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में रुझान



स्रोत: सीजीए मासिक लेखा




2.10 अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों ने चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में सालाना आधार पर 38.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। विनिर्माण क्षेत्र और उपभोग मांग दोनों में सुधार के कारण वस्तुओं और सेवाओं के आयात में वृद्धि से सीमा शुल्क संग्रह में वृद्धि हुई है। अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान सीमा शुल्क से राजस्व संग्रह में अप्रैल से नवंबर 2020 की तुलना में लगभग 100 प्रतिशत और अप्रैल से नवंबर 2019 की तुलना में 65 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।

2.11 अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान उत्पाद शुल्क से राजस्व में 23.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व जुटाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया था, जबकि कोविड-19 से अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वैश्विक पेट्रोलियम की कीमतों में कमी ने पेट्रोलियम पर कर बढ़ाने के लिए कुछ गुंजाइश पैदा कर दी। वर्ष 2020-21 पी ए में उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व में 60 प्रतिशत से अधिक की सालाना वृद्धि दर्ज की गई। हालाँकि नवंबर 2021 के अंत तक, जब वैश्विक तेल की कीमतों में वृद्धि हुई थी, अन्य कर राजस्व स्रोत ठीक हो गए थे और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का दबाव बन रहा था, तब सरकार ने स्थिति की आवश्यकता के अनुसार अपनी नीति बदल दी, और पेट्रोल एवं डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को घटा दिया गया था। अर्थव्यवस्था में सीमित वित्तीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा इस तरह की प्रभावी फीडबैक आधारित नीति बनाना अनिवार्य है। संशोधित प्राक्कलन चालू वर्ष के दौरान कर राजस्व पर उत्पाद शुल्क में कटौती के प्रभाव को अधिक स्पष्ट रूप में व्यक्त करेगा।


2.12 अर्थव्यवस्था के सुधार के साथ, माल और सेवा कर केंद्र एवं राज्यों दोनों के लिए राजस्व के एक सदाबहार स्रोत के रूप में उभरा है। अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान केंद्र के लिए जीएसटी संग्रह बीई का 61.4 प्रतिशत था। अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह, केंद्र और राज्यों को मिलाकर 10.74 लाख करोड़ रुपये थे, अर्थात् अप्रैल से दिसंबर 2020 तक सकल जीएसटी संग्रह में 61.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि अप्रैल से दिसंबर 2019 की तुलना में सकल जीएसटी संग्रह में 33.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विशेष रूप से, चालू वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये था, जो क्रमशः पहली और दूसरी तिमाही के औसत मासिक संग्रह 1.10 लाख करोड़ रुपये और 1.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक था।

2.13 2020-21 में देशव्यापी तालाबंदी के चरण के दौरान और भारत में दूसरी कोविड-19 लहर के दौरान, मासिक जीएसटी संग्रह में तेजी से सुधार हुआ। चित्र 7 से पता चलता है कि जीएसटी संग्रह पर कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रभाव पहली लहर के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के प्रभाव की तुलना में कम था। पिछले 4 वर्षों में, जीएसटी राजस्व में लगातार वृद्धि हुई है और मासिक जीएसटी संग्रह का वर्ष-औसत 2017-18 में 0.9 लाख करोड़ से था जो कि 2021-22 (दिसंबर तक) में बढ़कर 1.19 लाख करोड़ हो गया है (चित्र 8)। जीएसटी संग्रह में सुधार महामारी के बाद तेजी से आर्थिक सुधार के संयुक्त प्रभाव के कारण हुआ है। इसके अतिरिक्त जीएसटी संग्रह में सुधार के निम्नलिखित कारण थे-जीएसटी चोरों और नकली बिलों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान के साथ-साथ हाल ही में शुरू किए गए कई प्रणालीगत परिवर्तन, और जीएसटी परिषद द्वारा विषम शुल्क संरचना को ठीक करने के लिए किए गए विभिन्न दर युक्तिकरण उपाय।

चित्र 7: 2021-22 के दौरान उत्साहजनक जीएसटी संग्रह



चित्र 8: मासिक सकल जीएसटी संग्रह का बढ़ता वर्ष-औसत



स्रोत: राजस्व विभाग


2.14 नवंबर 2021 तक गैर-कर राजस्व संग्रह में सालाना आधार पर 79.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि लाभांश और मुनाफे से प्रेरित थी, जो ₹ 1.04 लाख करोड़ के बीई के मुकाबले ₹ 1.28 लाख करोड़ थी। इस अवधि के दौरान लाभांश और मुनाफे का प्रमुख घटक आरबीआई से केंद्र सरकार को ₹ 0.99 लाख करोड़ अधिशेष अंतरण था।

2.15 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में ऋण की वसूली और विनिवेश प्राप्तियां शामिल हैं। बजट 2021-22 में इस साल विनिवेश से हुई आय से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने की परिकल्पना की गई थी। सरकार अब तक विनिवेश से ₹ 9330 करोड़ जुटा पाई है (24 जनवरी, 2022 तक)। सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई नई सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति और संपत्ति मुद्राकरण रणनीति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण और रणनीतिक विनिवेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। एयर इंडिया का निजीकरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है, न केवल विनिवेश से प्राप्त होने वाली आय के मामले में बल्कि निजीकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए भी। 2021-22 के दौरान विनिवेश एवं निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डी आई पी ए एम) द्वारा की जा रही नई पहलों का विवरण बॉक्स 2 में दिया गया है।

## व्यय

2.16 2021-22 के दौरान सरकार की व्यय नीति की निम्नलिखित रही है-उन क्षेत्रों में पुनर्गठन और खर्च को प्राथमिकता देना, जिनका उत्पादन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान सरकार का कुल खर्च 8.8 प्रतिशत बढ़ा और बजट अनुमान का 59.6 प्रतिशत रहा। जहां 2020-21 में इसी अवधि की तुलना में 2021-22 के पहले आठ महीनों के दौरान राजस्व व्यय में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वहीं गैर-ब्याज राजस्व व्यय में अप्रैल से नवंबर 2020 (चित्र 9) की तुलना में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।


चित्र 9: अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान व्यय घटकों में वृद्धि



स्रोत: राजस्व विभाग

2.17 अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान प्रमुख सब्सिडी पर खर्च 2.31 लाख करोड़ रुपये रहा। प्रमुख सब्सिडी पर व्यय के घटकों को चित्र 10 में देखा जा सकता है। खाद्य सब्सिडी कुल सब्सिडी का प्रमुख घटक होने के कारण 2021-22 के पहले आठ महीनों के दौरान इसके बीई के दो तिहाई यानी 1.64 लाख करोड़ रुपये थी। 2021-22 के दौरान घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना-चरण III (मई से जून 2021), चरण IV (जुलाई से नवंबर 2021) और चरण V (दिसंबर से मार्च 2022) के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित खाद्य सब्सिडी ₹1.47 लाख करोड़ की आवश्यकता होगी। यह योजना नियमित मासिक एनएफएसए खाद्यान्न के अलावा लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करती है।

चित्र 10: अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान सब्सिडी पर व्यय




स्रोत: राजस्व विभाग

2.18 चालू वित्त वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय पर जोर व्यय नीति का मुख्य आकर्षण रहा है। अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान, पूंजीगत व्यय में अप्रैल से नवंबर 2020 की तुलना में 13.5 प्रतिशत और अप्रैल से नवंबर 2019 की तुलना में 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (चित्र 9)। जैसा कि चित्र 11 में दर्शाया गया है, यह वृद्धि पिछले कुछ वर्षों में इसी अवधि के दौरान दर्ज की गई वर्ष-दर-वर्ष पूंजीगत व्यय वृद्धि से अधिक है।


उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में अधिक विषमता पायी जाती है। पूंजीगत व्यय का एक बड़ा हिस्सा वर्ष की दूसरी छमाही में होता है, जिसे उपलब्ध आंकड़ों के साथ नहीं लिया जा रहा है। अप्रैल से नवंबर 2021 तक पूंजीगत व्यय का फोकस सड़कों, राजमार्गों, रेलवे, और आवास एवं शहरी मामले जैसे बुनियादी ढांचा-क्षेत्रों की ओर रहा है (चित्र 12)। इसके अलावा, केंद्र ने राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन भी दिए हैं (बॉक्स 3 में चर्चा की गई है)।

**चित्र 11: पिछले वर्षों में अप्रैल से नवंबर के दौरान पूंजीगत व्यय में सालाना वृद्धि**



स्रोत: राजस्व विभाग

**चित्र 12: पूंजीगत व्यय के लिए जोर क्षेत्र (अप्रैल से नवंबर 2021) (करोड़ रुपये में)**



स्रोत: राजस्व विभाग

2.19 उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, यह देखा जा सकता है कि सरकार द्वारा अपनाई गई चुस्त राजकोषीय नीति दृष्टिकोण, इस वर्ष अब तक प्राप्त उत्साहजनक राजस्व संग्रह के साथ, स्थिति की आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त मध्यवर्ती राजकोषीय नीति बनायी गई है। पूंजीगत व्यय पर लक्षित फोकस, इसके परिणामी गुणक प्रभावों के साथ, आर्थिक विकास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होगा। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, सभी स्रोतों से राजस्व संग्रह और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है, जो एक तरफ राजकोषीय स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा, और दूसरी तरफ राजकोषीय प्रसार में मदद करेगा। इस प्रकार, यह उम्मीद की जाती है कि 2021-22 के दौरान राजकोषीय घाटे के बजट अनुमान तक पहुंचना केंद्र सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं होगा। एक मजबूत आर्थिक विकास पथ और पिछले कुछ वर्षों में किए गए विभिन्न कर उन्मुख नीतिगत और प्रशासनिक सुधार मध्यम अवधि में उछाल वाले राजस्व को बनाए रखने में आधारभूत सिद्ध होंगे, और इस प्रकार, मध्यम अवधि के राजकोषीय नीतिगत ब्यौरे द्वारा राजकोषीय नीति का अनुपालन किया जाएगा।


## सरकारी वित्त में दीर्घकालिक रुझान: केंद्र, राज्य और सामान्य सरकार

### केंद्र सरकार के वित्त

2.20 2020-21 के दौरान, आर्थिक गतिविधियों में रुकावट के कारण राजस्व संग्रह में कमी और गरीब एवं कमजोर लोगों, छोटे व्यवसायों और सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए अतिरिक्त व्यय संबंधी आवश्यकताओं ने उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधन पर अत्यधिक दबाव बनाया है। नतीजतन, 2020-21 के लिए बजटीय राजकोषीय घाटा बीई में 3.5 प्रतिशत से संशोधित कर आरई में 9.5 प्रतिशत कर दिया गया। राजकोषीय घाटा (2020-21 में अंतिम वास्तविक आंकड़े) सकल घरेलू उत्पाद का 9.2 प्रतिशत अर्थात् आरई (चित्र 13) से कम था। बजट 2021-22 के साथ प्रस्तुत मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) संबंधी ब्यौरे में 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 6.8 प्रतिशत के

राजकोषीय घाटे के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। चालू वर्ष के दौरान घाटे में यह कमी 2020-21 के संशोधित अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद के 17.7 प्रतिशत से घटाकर 2021-22 बजट अनुमान में 15.6 प्रतिशत करने के कारण बजट में रखी गई थी; और सकल कर राजस्व में बजटीय मामूली वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद के 0.1 प्रतिशत के बराबर है। लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी अप्रैल से नवंबर 2021 के सरकारी खातों के आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार 2021-22 में राजकोषीय घाटे के बजट अनुमान को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में कार्य कर रही है।

चित्र 13: घाटे में रुझान



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बीई: बजट अनुमान, पीए: अंतिम वास्तविक आंकड़े

एफडी: राजकोषीय घाटा; आरडी: राजस्व घाटा; पीडी: प्राथमिक घाटा

2.21 केंद्र सरकार के प्रमुख राजकोषीय संकेतकों में दीर्घकालिक रुझान और उनकी विकास दर क्रमशः तालिका 2 और तालिका 3 में प्रस्तुत की गई है। यह खंड इन प्रवृत्तियों का विस्तार से विश्लेषण करता है।

तालिका 2: केंद्र सरकार के वित्तीय संकेतक

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 पीए	2021-22 बीई
(₹ लाख करोड़ में; कोष्ठक में आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में हैं)							
राजस्व प्राप्तियां	11.95 (8.7)	13.74 (8.9)	14.35 (8.4)	15.53 (8.2)	16.84 (8.3)	16.32 (8.3)	17.88 (8.0)
सकल कर राजस्व	14.56 (10.6)	17.16 (11.2)	19.19 (11.2)	20.8 (11.0)	20.1 (9.9)	20.25 (10.3)	22.17 (9.9)
शुद्ध कर राजस्व	9.44 (6.9)	11.01 (7.2)	12.42 (7.3)	13.17 (6.9)	13.57 (6.7)	14.24 (7.2)	15.45 (6.9)
गैर-कर राजस्व	2.51 (1.8)	2.73 (1.8)	1.93 (1.1)	2.36 (1.2)	3.27 (1.6)	2.08 (1.1)	2.43 (1.1)
गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां*	0.63 (0.5)	0.65 (0.4)	1.16 (0.7)	1.13 (0.6)	0.69 (0.3)	0.58 (0.3)	1.88 (0.8)

गैर-ऋण प्राप्तियां	12.58 (9.1)	14.40 (9.4)	15.51 (9.1)	16.66 (8.8)	17.53 (8.6)	16.90 (8.6)	19.76 (8.9)
कुल व्यय	17.91 (13.0)	19.75 (12.9)	21.42 (12.5)	23.15 (12.2)	26.86 (13.2)	35.11 (17.8)	34.83 (15.6)
राजस्व व्यय	15.38 (11.2)	16.91 (11.0)	18.79 (11.0)	20.07 (10.6)	23.51 (11.6)	30.86 (15.6)	29.29 (13.1)
पूंजीगत व्यय	2.53 (1.8)	2.85 (1.9)	2.63 (1.5)	3.08 (1.6)	3.35 (1.6)	4.25 (2.2)	5.54 (2.5)
राजकोषीय घाटा	5.33 (3.9)	5.36 (3.5)	5.91 (3.5)	6.49 (3.4)	9.34 (4.6)	18.21 (9.2)	15.07 (6.8)
राजस्व घाटा	3.43 (2.5)	3.16 (2.1)	4.44 (2.6)	4.54 (2.4)	6.67 (3.3)	14.54 (7.4)	11.41 (5.1)
प्राथमिक घाटा	0.91 (0.7)	0.55 (0.4)	0.62 (0.4)	0.67 (0.4)	3.22 (1.6)	11.39 (5.8)	6.97 (3.1)
मेमो आइटम							
बाजार मूल्य पर जीडीपी	137.72	153.62	170.95	189.71	203.51	197.46	222.87

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बीई: बजट अनुमान, पीए: अंतिम वास्तविक

विनिवेश से प्राप्त राशि शामिल है

तालिका 3: केंद्र सरकार के राजकोषीय संकेतकों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 पीए*	2021-22 बीई <sup>^</sup>
राजस्व प्राप्तियां	15.0	4.4	8.2	8.4	-3.1	9.6
सकल कर राजस्व	17.9	11.8	8.4	-3.4	0.7	9.5
शुद्ध कर राजस्व	16.7	12.8	6.0	3.0	4.9	8.5
गैर-कर राजस्व	8.6	-29.4	22.3	38.8	-36.4	16.8
गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	3.8	77.0	-2.5	-39.2	-16.0	226.2
कुल गैर-ऋण प्राप्ति	14.4	7.7	7.4	5.2	-3.6	17.0
कुल व्यय	10.3	8.4	8.1	16.0	30.7	-0.8
राजस्व व्यय	9.9	11.1	6.8	17.1	31.3	-5.1
पूंजीगत व्यय	12.5	-7.5	16.9	9.1	26.5	30.5

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बीई: बजट अनुमान, पीए: अंतिम वास्तविक

\* वास्तविक विकास दर की तुलना में 2019-20 वास्तविक;

<sup>^</sup> 2020-21 पीए की तुलना में विकास दर


## प्राप्तियों में रुझान

2.22 केंद्र सरकार की प्राप्तियों को मोटे तौर पर गैर-ऋण और ऋण प्राप्तियों में विभाजित किया जा सकता है। गैर-ऋण प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, ऋण की वसूली और विनिवेश प्राप्तियां शामिल हैं। ऋण प्राप्तियों में ज्यादातर बाजार उधार और अन्य देनदारियां शामिल होती हैं, जिन्हें सरकार भविष्य में चुकाने के लिए बाध्य होती है। बजट 2021-22 ने केंद्र सरकार की गैर-ऋण प्राप्तियों में उल्लेखनीय रूप से उच्च वृद्धि को लक्षित किया, जो इसके सभी घटकों में मजबूत वृद्धि से प्रेरित था (तालिका 3 देखें)।

## राजस्व का टैक्स

2.23 2020-21 के लिए लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी अनंतिम वास्तविक आंकड़े बताते हैं कि 2020-21 पीए के दौरान सकल कर राजस्व में 0.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई। कर संग्रह की कमी की स्थिति ऐसी थी कि उसमें प्रति वर्ष 11.7 प्रतिशत की गिरावट हो रही थी, जिसकी पूर्ति अप्रत्यक्ष करों में 12.6 प्रतिशत की सालाना वृद्धि करके किया गया था। हालांकि, 2020-21 के संशोधित अनुमानों (आरई) की तुलना में बजट 2021-22 में सकल कर राजस्व (जीटीआर) में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि की परिकल्पना की गई है। 2021-22 बीई के लिए जीटीआर 22.17 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था, जो सकल घरेलू उत्पाद का 9.9 प्रतिशत था। 2020-21 के संशोधित अनुमानों की तुलना में जीटीआर में बजटीय वृद्धि का अनुमान प्रत्यक्ष करों में 22.4 प्रतिशत की वृद्धि और अप्रत्यक्ष करों में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि के कारण था। मोटे तौर पर, जीटीआर का 50 प्रतिशत प्रत्यक्ष करों से और शेष 50 प्रतिशत अप्रत्यक्ष करों से अर्जित होने का अनुमान था। 2021-22 बीई के लिए जीटीआर में विभिन्न करों का योगदान चित्र 14 में दर्शाया गया है।


चित्र 14: 2021-22 बीई में सकल कर राजस्व में करों की संरचना



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज

2.24 सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में प्रमुख करों की प्रवृत्ति, जिसे चित्र 15 में दर्शाया गया है, को 2019-20 के बाद से प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों, विशेष रूप से कॉर्पोरेट कर के जरिए कर संग्रह में गिरावट की प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह इस अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था के विकास में गिरावट और कॉर्पोरेट कर की दर में कटौती जैसे संरचनात्मक सुधारों के कार्यान्वयन के कारण है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान अप्रैल से नवंबर 2020 की तुलना में 90 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज करते हुए, कॉर्पोरेट कर संग्रह में उछाल आया है।

चित्र 15: सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बीई: बजट अनुमान, पीए: अनंतिम वास्तविक आंकड़े, सीआईटी: निगम कर, टीओआई: निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर (एसटीटी सहित),

यूईडी: केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जीएसटी: माल और सेवा कर

## गैर-कर राजस्व

2.25 गैर-कर राजस्व में मुख्य रूप से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ऋण पर ब्याज प्राप्तियां, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त लाभांश और लाभ शामिल हैं, जिसमें भारत सरकार को अंतरित भारतीय रिजर्व बैंक का अधिशेष, और केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए बाह्य अनुदान और प्राप्तियां शामिल हैं। इन सेवाओं में मुद्रा, सिक्का और टकसाल जैसी वित्तीय सेवाएं, लोक सेवा आयोग और पुलिस जैसी सामान्य सेवाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाएं और सिंचाई, परिवहन और संचार जैसी आर्थिक सेवाएं शामिल हैं। 2021-22 के बजट में गैर-कर राजस्व के 2.43 लाख करोड़ रुपये के सृजन का उल्लेख किया गया है, जो तुलनात्मक रूप से 2020-21 के अनंतिम वास्तविक आंकड़ों से 16.8 प्रतिशत अधिक है। (तालिका 4 देखें)।

तालिका 4: केंद्र सरकार के गैर-कर राजस्व में रुझान

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 पीए	2021-22 बीई
	(लाख करोड़ रुपये में)						
ब्याज प्राप्तियां	0.25	0.16	0.14	0.12	0.12	0.17	0.12
लाभांश और लाभ	1.12	1.23	0.91	1.13	1.86	0.97	1.04
बाह्य अनुदान	0.02	0.01	0.04	0.01	0.00	0.02	0.01
अन्य	1.12	1.32	0.84	1.07	1.27	0.92	1.25
गैर-कर राजस्व	2.51	2.73	1.93	2.36	3.27	2.08	2.43

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए



## गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां

2.26 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तिओं में मुख्य रूप से ऋण और अग्रिम की वसूली, और विनिवेश प्राप्तियां शामिल हैं। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के परिणामस्वरूप राज्यों को प्रदान की जाने वाली केंद्रीय सहायता से संबंधित ऋण के हिस्से की मध्यस्थतहीनता के बाद के वर्षों में ऋण की वसूली में गिरावट आई है, और राज्यों को सीधे बाजार से उधार लेने की अनुमति दी गई है। 2021-22 के बजट में 1.88 लाख करोड़ रुपये की गैर-ऋण पूंजी प्राप्तिओं के सृजन का उल्लेख किया गया है, जिसमें विनिवेश प्राप्तिओं के 1.75 लाख करोड़ रुपये शामिल हैं। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की हिस्सेदारी को कम करने के लिए, सरकार ने फरवरी 2021 में आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नई विनिवेश नीति अपनाई है। सरकार की विनिवेश नीति का विकास बॉक्स 2 में देखा जा सकता है।

### बॉक्स 2: भारत सरकार की विनिवेश नीति का विकास

संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 के पारित होने के साथ, सरकार द्वारा निजी फर्मों का राष्ट्रीयकरण एक मानक नीति उपकरण बन गया। अधिनियम में कहा गया है कि 'नागरिक द्वारा किसी भी पेशे को अपनाने का अधिकार या अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत किसी भी पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने के अधिकार पर राज्य "नागरिकों के हित" में कानून के तहत उचित प्रतिबंध लगा सकती है। अधिनियम किसी भी व्यवसाय में राज्य द्वारा राष्ट्रीयकरण या व्यापार की अनुमति देता है।

जल्द ही वायु निगम अधिनियम, 1953 के तहत, सरकार ने नौ एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया-एयर इंडिया, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया, एयरवेज (इंडिया), भारत एयरवेज, डेक्कन एयरवेज, हिमालयन एविएशन, इंडियन नेशनल एयरवेज, कलिंग एयरलाइंस और एयर इंडिया इंटरनेशनल-और उन्हें दो सार्वजनिक उपक्रमों, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया इंटरनेशनल के तहत लाया। इसके बाद 1956 में जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के माध्यम से जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसके द्वारा 154 भारतीय बीमाकर्ताओं, 16 गैर-भारतीय बीमाकर्ताओं और 75 प्रोविडेंट समितियों का भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में राष्ट्रीयकरण किया गया। सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के माध्यम से, 55 भारतीय कंपनियों और 52 विदेशी बीमा कंपनियों के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके अलावा बैंकिंग प्रणाली में, सरकार ने 1969 में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के माध्यम से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उसके बाद 1980 में बैंक राष्ट्रीयकरण का दूसरा दौर शुरू किया, जिसके माध्यम से अन्य छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1971-1975 की अवधि के दौरान कोयला खदानों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर भी, राष्ट्रीयकरण का मुद्दा हमेशा एक अत्यधिक बहस का मुद्दा रहा है, इस हद तक कि वर्ष 1958 में, तत्कालीन वित्त मंत्री श्री टीटी कृष्णामाचारी को एलआईसी के राष्ट्रीयकरण (मुद्रा कांड, 1958) के विवादों के कारण इस्तीफा देना पड़ा था।

1991 के सुधारों के बाद, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बारे में सोच में बदलाव आया। 1991 के अंतरिम बजट में पहली बार 'विनिवेश' शब्द का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि, पीएम वाजपेयी की सरकार के तहत विनिवेश संबंधी नीति ने जोर पकड़ी, जब 1999 में एक नया विनिवेश विभाग बनाया गया, जो 2001 में एक पूर्ण मंत्रालय बन गया। इस अवधि के दौरान राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों की रणनीतिक बिक्री की अवधारणा नीतिगत बहस का हिस्सा बन गई। इस सरकार के कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की 12 कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी बेची गई, जिनमें मारुति उद्योग, हिंदुस्तान जिंक, भारत एल्युमीनियम और विदेश संचार निगम लिमिटेड शामिल हैं। विनिवेश की प्रक्रिया अगले दशक 2004-2014 तक रुक-रुक कर जारी रही, जब कि हाल ही में पिछले पांच वर्षों में इस दिशा में जोर दिया गया है।

2014 के बाद, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी), ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल), हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएससीसी), नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी), टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी बिक्री के साथ विनिवेश नीति का नवीनीकरण किया गया और आईआरसीटीसी, हुडको, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, जनरल इंडियन कॉर्पोरेशन, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मेसगोन डाक शिप बिल्डर लिमिटेड और रेलटेल जैसे सार्वजनिक उपक्रमों को सफलतापूर्वक शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया गया। नए, आत्मनिर्भर भारत के मिशन को साकार करने के लिए, व्यावसायिक उद्यमों में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को फिर से परिभाषित करने और सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता थी।

इस पृष्ठभूमि में आत्मनिर्भर भारत के लिए न्यू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज ("पीएसई") नीति को 4 फरवरी 2021 को अधिसूचित किया गया था। इस नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी को कम करना है। नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ("पीएसई") नीति के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक उद्यमों को सामरिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण अवसंरचना, वित्तीय सेवाओं के प्रावधान और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित चार व्यापक रणनीतिक क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण अवसंरचना के मानदंडों, वित्तीय सेवाओं का प्रावधान और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता के आधार पर सामरिक क्षेत्रों का निरूपण किया गया है : (i) परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा; (ii) परिवहन और दूरसंचार; (iii) बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज; और (iv) बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं।

वर्ष 2021-22 में बजट अनुमान (बीई) के लिए विनिवेश आय रुपये 1,75,000 करोड़ निर्धारित किया गया था। अब तक (24.1.2022 तक) सरकार को ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) रूट और स्टॉक एक्सचेंज के जरिए शेयरों की बिक्री के माध्यम से सीपीएसई के विनिवेश से 9,330 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। सीपीएसई के शेयर निवेशकों के बीच आकर्षण के केंद्र बन चुके हैं, जैसा कि बी एस ई सी पी एस ई सूचकांक में परिलक्षित होता है, जो कि बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में जनवरी 2021 से अब तक 40.02% बढ़ा है, जब कि बेंचमार्क इंडेक्स 23.33% बढ़ा है। सीपीएसई से कुल लाभांश प्राप्तियां वर्ष 20-21 में रुपये 39,607 करोड़ रुपये रहा, जो 34,717 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान (आरई) से अधिक है, और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक लाभांश प्राप्तियों (35,543 करोड़ रुपये) से अधिक है। इस वित्त वर्ष (24.1.2022 तक) की कुल लाभांश प्राप्ति 40,201.47 करोड़ रुपये है।

2016 से, सरकार ने 35 सीपीएसई और/या सहायक कंपनियों/इकाइयों/सीपीएसई के संयुक्त उद्यमों और आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी है। वर्तमान वर्ष के दौरान, एयर इंडिया के निजीकरण की प्रक्रिया के आगे बढ़ने के साथ, सरकार ने मेसर्स टैलेस प्राइवेट लिमिटेड जो मेसर्स टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, के साथ एक महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लिया है, जो एआईएक्सएल और एआईएसएटीएस में एयर इंडिया की इक्विटी शेयरधारिता के साथ-साथ एयर इंडिया में सरकार की 100% हिस्सेदारी की बिक्री के लिए सफल बोलीदाता के रूप में उभर रही है। 25.10.2021 को मेसर्स टैलेस प्राइवेट लिमिटेड, एयर इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एयर इंडिया के निजीकरण पर यह प्रगति न केवल विनिवेश से प्राप्त होने वाली आय के मामले में बल्कि निजीकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

### संपत्ति मुद्रीकरण

नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) में वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2025 में 111 लाख करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे में निवेश की परिकल्पना की गई है। एनआईपी टास्क फोर्स की रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि इस परिव्यय का लगभग 15-17% परिसंपत्ति मुद्रीकरण, न्यू डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (डीएफआई) आदि जैसी नवीन और वैकल्पिक पहलों के माध्यम से वित्त पोषण पूरा किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2021-22 ने भी देश में उन्नत और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए तीन स्तंभों में से एक के रूप में संपत्ति के मुद्रीकरण पर जोर दिया।

केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत संपत्ति मुद्रीकरण के लिए जनादेश के आधार पर, बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के परामर्श से नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) विकसित किया गया है। इसकी परिकल्पना सड़कों, रेलवे, शिपिंग, विमानन, बिजली, दूरसंचार, तेल और गैस तथा वेयरहाउसिंग क्षेत्रों में विभिन्न ब्राउनफील्ड अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) परिसंपत्तियों के परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए एक आवश्यक रोडमैप के रूप में की गई है। एनएमपी संभावित परिसंपत्तियों के प्रदर्शन की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए संपत्ति के स्वामित्व वाले मंत्रालयों के लिए एक आधार रेखा भी बनाएगा।

एनएमपी का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक, चार साल की अवधि में केंद्र सरकार के पास मुख्य संपत्ति के माध्यम से 6.0 लाख करोड़ रुपये की कुल मुद्रीकरण क्षमता है। कुल पाइपलाइन मूल्य के लगभग 83% पर शीर्ष 5 क्षेत्र के नाम इस प्रकार हैं: सड़कें (27%) इसके बाद रेलवे (25%), बिजली (15%), तेल और गैस पाइपलाइन (8%) एवं दूरसंचार (6%) का स्थान है। चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22) में 0.88 लाख करोड़ रुपये के सांकेतिक मूल्य वाली लगभग 15% संपत्ति की परिकल्पना की गई है।

एनएमपी के तहत चिन्हित संपत्ति और लेनदेन को कई प्रकार के उपकरणों के माध्यम से शुरू किए जाने की उम्मीद है। इनमें प्रत्यक्ष सविदात्मक साधन जैसे सार्वजनिक निजी भागीदारी रियायतें और पूंजी बाजार के साधन जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (इनवित) शामिल हैं। प्रपत्र का चयन सेक्टर, परिसंपत्ति की प्रकृति, लेन-देन के समय (बाजार पर विचार करते हुए), लक्षित निवेशक प्रोफाइल और परिसंपत्ति मालिक द्वारा बनाए रखने के लिए परिकल्पित परिचालन/निवेश नियंत्रण के स्तर आदि द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

जहां मूल संपत्तियों का मुद्रीकरण नीति आयोग द्वारा संचालित है, वहीं गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण की पहल अब तक निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) द्वारा संचालित की गई है। गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण में अब तक अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई संपत्तियों के मूल्य को अनलॉक करने और सरकार ने उसमें जो निवेश किया है, उससे रिटर्न प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। अब तक, सीपीएसई ने मुद्रीकरण के लिए 3400 एकड़ भूमि और अन्य गैर-प्रमुख संपत्तियों को दीपम/एमओएफ को संदर्भित किया है। विभिन्न सीपीएसई अर्थात् एमटीएनएल, बीएसएनएल, बीपीसीएल, बी एंड आर, बीईएमएल, एचएमटी लिमिटेड, इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड आदि की गैर-प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण वर्तमान में लेनदेन के विभिन्न चरणों में है।

चूंकि, वर्तमान में, सरकार में गैर-प्रमुख संपत्तियों के प्रबंधन और मुद्रीकरण की जिम्मेदारी लेने के लिए वांछित कौशल सीमित है। अतः माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2021-22 में एक कुशल और विवेकपूर्ण तरीके से भूमि और अन्य गैर-प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए क्षमता और विशेषज्ञता के साथ प्रचलित अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम मानकों के अनुरूप एक विशेष प्रयोजन वाहन (स्पेशल परपज व्हिकल-एसपीवी) की स्थापना की घोषणा की। बजट घोषणा के अनुसरण में, 'राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम' (एनएलएमसी) को भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इकाई के रूप में शामिल किया जा रहा है, जिसकी प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी रुपये 5000 करोड़ और अभिदत्त शेयर पूंजी रुपये 150 करोड़ है।

## व्यय में रुझान

2.27 महामारी वर्ष 2020-21 के दौरान की स्थिति के अनुसार व्यय नीति का फोकस व्यय की प्राथमिकता को सुनिश्चित करने पर था। महामारी के प्रारंभिक चरण में, सरकार ने आवश्यक गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने पर जोर दिया था और पुनर्प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए दुर्लभ संसाधनों को संरक्षित किया था। वर्ष के परवर्ती काल में आवाजाही और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों में ढील के साथ, या तो अर्थव्यवस्था में पुनः जान फूंकने या कल्याणकारी जरूरतों को पूरा करने के संदर्भ में अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव वाले क्षेत्रों में खर्च पर ध्यान केंद्रित किया गया था और दूसरा, सरकार ने महामारी से राहत के लिए उत्पादक घरेलू पूंजीगत व्यय पर अधिकतम प्राथमिकता दी, जिसका अर्थव्यवस्था पर उच्च गुणात्मक प्रभाव पड़ता है।

2.28 महामारी के मद्देनजर, अतिरिक्त व्यय संबंधी आवश्यकताओं ने 2020-21 अनंतिम वास्तविक आंकड़ों (तालिका 5) में सरकार के राजस्व व्यय में सालाना 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की। वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर व्यय, सामान्यतः कुल मिलाकर, अति आवश्यक है और अतिरिक्त वित्तीय स्थान के निर्माण के लिए सीमित हैं। 2020-21 के अनंतिम वास्तविक आंकड़ों के से पता चलता है कि वेतन में गिरावट बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त को फ्रीज करने और काम पर रखने में व्यवधान के कारण थी। 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि प्रमुख सब्सिडी में वृद्धि के कारण हुई। प्रमुख सब्सिडी में 2019-20 की तुलना में 2020-21 के अनंतिम वास्तविक आंकड़ों में 200 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है। यह वृद्धि खाद्य सब्सिडी में लगभग 400 प्रतिशत की वृद्धि के कारण 2019-20 में 1.09 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2020-21 के अनंतिम वास्तविक आंकड़ों में 5.25 लाख करोड़ रुपये हो गई। खाद्य सब्सिडी बिल में भारी वृद्धि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण हुई, जिसे कोविड-19 से उपजे आर्थिक हालात का सामना करने के लिए शुरू किया गया था। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी से संबंधित बकाया लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का पूर्व भुगतान करने के कारण भी खाद्य सब्सिडी बिल में भारी वृद्धि हुई थी।

तालिका 5: राजस्व व्यय की प्रमुख मदे

मदे	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 पीए	2021-22 बीई
	(₹ लाख करोड़ में)					
राजस्व व्यय जिसमें से	16.91 (9.9)	18.79 (11.1)	20.07 (6.8)	23.51 (17.1)	30.86 (31.3)	29.29 (-5.1)
क वेतन (वेतन और भत्ते)	1.77 (22.6)	1.94 (9.3)	2.11 (9.0)	2.28 (7.8)	2.05 (-10.0)	2.52 (22.9)
ख निवृत्ति-वेतन	1.31 (35.8)	1.46 (10.9)	1.60 (9.9)	1.84 (14.8)	2.09 (13.7)	1.90 (-9.0)
ग ब्याज भुगतान	4.81 (8.8)	5.29 (10.0)	5.83 (10.2)	6.12 (5.0)	6.82 (11.4)	8.10 (18.7)
घ प्रमुख सब्सिडी	2.04 (-15.6)	1.91 (-6.3)	1.97 (2.9)	2.28 (16.0)	6.90 (202.0)	3.35 (-51.4)
ड रक्षा सेवाएं	1.65 (13.3)	1.86 (12.5)	1.96 (5.1)	2.08 (6.1)	2.06 (-0.9)	2.12 (3.1)

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

बीई: बजट अनुमान, पीए: अनंतिम वास्तविक आंकड़े


कोष्ठक में संख्या वृद्धि दर है

\*2020-21 के लिए वेतन (वेतन और भत्ते) का आंकड़ा संशोधित अनुमान (आरई) है।

2.29 सरकार ने 2020-21 आरई और 2021-22 बीई दोनों में व्यय की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। पूंजीगत व्यय ने 2020-21 पी ए में 26.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, क्योंकि यह 2019-20 में जीडीपी के 1.6 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21पी ए में जी डी पी का 2.2 प्रतिशत हो गया। पूंजीगत व्यय पर जोर 2021-22 बीई में जारी रहा ताकि ₹ 5.54 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान अर्थात जीडीपी के 2.5

प्रतिशत को हासिल किया जा सके। इससे 2020-21 बीई और 2020-21 पीए में क्रमशः 34.5 प्रतिशत और 30.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल व्यय के अनुपात के रूप में, पूंजीगत व्यय 2020-21 पी ए में 12.1 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 बी ई में 15.9 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है (चित्र 16)। 2021-22 बीई में बुनियादी ढांचे के खर्च पर ध्यान देने के साथ उच्च पूंजीगत व्यय का चल रहे आर्थिक सुधार पर गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा।

चित्र 16: कुल व्यय में राजस्व और पूंजीगत व्यय का हिस्सा



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए कार्यालय

बीई: बजट अनुमान, पीए: अंतिम वास्तविक आंकड़े,

2.30 बजटीय खर्च के अलावा, 2016-17 से बुनियादी ढांचे के निवेश के वित्तपोषण के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) भी जुटाए गए हैं। सरकार ने 2016-17 से 2020-21 तक 6.04 लाख करोड़ रुपये का ईबीआर जुटाया है, जिसमें से 1.43 लाख करोड़ रुपये सरकार के निर्गम से जुटाए गए हैं। पूरी तरह से सेवित बांड और एनएसएसएफ से ऋण के माध्यम से विस्तारित वित्तीय सहायता के माध्यम से 4.61 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। बजट 2021-22 में राजकोषीय पारदर्शिता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है, क्योंकि 2021-22 के लिए ईबीआर का अनुमान 30000 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, 2020-21 आरई में, सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के बकाया खाद्य सब्सिडी से संबंधित ऋण के लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का पूर्व भुगतान करने का अनुमान लगाया है। 2021-22 बीई से संबंधित बजट में एफसीआई की खाद्य सब्सिडी आवश्यकताओं का प्रावधान किया गया है।

## राज्यों को अंतरण

2.31 केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें राज्यों को 2,33,233 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान देने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा इसमें 2021-22 के दौरान राज्य को अंतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान, स्थानीय निकायों को अनुदान, स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान और आपदा प्रबंधन अनुदान भी सम्मिलित है।

2.32 संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अंतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। राज्यों के राजस्व लेखा में अंतर को पूरा करने के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को अनुदान जारी किया जाता है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 में 17 राज्यों को रुपये 1.18 लाख करोड़ के कुल पोस्ट अंतरण राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है, जिसमें से 6 जनवरी 2022 तक रु. 98,710 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

2.33 स्थानीय निकायों को अनुदान के संबंध में, पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) ने सिफारिश की थी कि शहरी क्षेत्रों को दो व्यापक श्रेणियों में बांटा जाए ताकि शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान की सिफारिश की जा सके : (क) श्रेणी- I शहर: दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरी समूह/शहर और (ख) श्रेणी-II शहर: मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों के अलावा। आयोग ने सिफारिश की है कि मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों (मिलियन-प्लस शहरों) को अच्छा प्रदर्शन करने पर 100 प्रतिशत अनुदान मिलियन-प्लस सिटीज चौलेंज फंड (एमसीएफ) के माध्यम दिया जाएगा अर्थात अनुदान प्रदर्शन से लिंकड होगा। आयोग ने सिफारिश की है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों और गैर-मिलियन-प्लस शहरों में शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान का 60 प्रतिशत बुनियादी सेवाओं की दो श्रेणियों के वितरण को समर्थन और मजबूत करने के लिए जोड़ा जाना चाहिए: (क) स्वच्छता, ओडीएफ स्थिति का रखरखाव (ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए), ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित स्टार रेटिंग की प्राप्ति (गैर-मिलियन से अधिक शहरों / श्रेणी- II शहरों / कस्बों के लिए); (ख) पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण (ग्रामीण स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकायों दोनों के लिए)।

2.34 पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) ने स्वास्थ्य के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से वर्ष 2021-22 के लिए रु.13,192.00 करोड़ के अनुदान की सिफारिश की है। पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में महत्वपूर्ण अंतराल को मजबूत करने और प्लग करने के लिए, उन बाधाओं को भी चिन्हित किया है जो सीधे तौर पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को मजबूत करेंगे।

2.35 आपदा प्रबंधन अनुदान के संबंध में, आयोग ने सिफारिश की है कि राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एसडीआरएमएफ) के लिए राज्यों के कुल आवंटन को फंडिंग विंडो में उप-विभाजित किया जाना चाहिए जिसमें पूर्ण आपदा प्रबंधन चक्र शामिल हो। इस प्रकार, एसडीआरएमएफ (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष) को कुल आवंटन का 80 प्रतिशत और एसडीएमएफ (राज्य आपदा शमन कोष) को 20 प्रतिशत मिलना चाहिए। इसी तरह, आयोग ने सिफारिश की है कि एनडीआरएमएफ (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष) को राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष के कुल आवंटन का 80 प्रतिशत मिलना चाहिए और शेष 20 प्रतिशत राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष के लिए मिलना चाहिए।

2.36 वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार घटकवार अनुदान निम्नानुसार हैं:


क्रम सं.	घटक	2020-21 के लिए आवंटन	2021-22 के लिए आवंटन
			(₹ करोड़ में)
1.	अंतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान	74,340	1,18,452
2.	स्थानीय निकाय अनुदान सहित स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	90,000	80,207
3.	आपदा प्रबंधन अनुदान (संघ का हिस्सा)	34,574	34,574
	<b>कुल योग</b>	<b>1,98,914</b>	<b>2,33,233</b>



### केंद्र सरकार के ऋण

2.37 वर्ष के दौरान, कोविड-19 महामारी के बाद केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए ऋण का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती थी। इस परिवेश में, लागत न्यूनीकरण, जोखिम न्यूनीकरण और बाजार विकास के प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, तथा सरकारों की बढ़ी हुई वित्तीय आवश्यकताओं को सुचारू रूप से पूरा करते हुए यह सुनिश्चित किया गया व्यवस्थित बाजार स्थितियों को बनाए रखने के लिए पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों उपाय किए जाएं। इन उपायों से समर्थित, 2020-21 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों पर सरकार की भारित औसत लागत शुद्ध बाजार उधार (चित्र 17) में 141.2 प्रतिशत की उछाल के बावजूद, 17 साल के निचले स्तर 5.79 प्रतिशत पर थी।

चित्र 17: केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर भारित औसत ब्याज दर



स्रोत: आरबीआई

2.38 केंद्र सरकार की कुल देनदारियों में भारत की संचित निधि से लिए गए अनुबंधित ऋण, तकनीकी रूप से सार्वजनिक ऋण के रूप में परिभाषित, साथ ही साथ सार्वजनिक लेखा की देनदारियां शामिल हैं। इन देनदारियों में वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य ऋण (वित्त वर्ष के अंत) शामिल हैं, लेकिन एनएसएसएफ से राज्यों के उधार और एनएसएसएफ से बाहर सार्वजनिक एजेंसियों में निवेश की सीमा तक एनएसएसएफ देनदारियों के हिस्से को शामिल नहीं करते हैं, जो केंद्र सरकार के घाटा का वित्तपोषण नहीं करते हैं। मार्च 2021 के अंत में केंद्र सरकार की कुल बकाया देनदारियां ₹ 117.04 लाख करोड़ थी। सार्वजनिक ऋण कुल देनदारियों का 89.9 प्रतिशत था, जबकि सार्वजनिक खाता देयताएं (शेष 10.1 प्रतिशत), जिसमें राष्ट्रीय लघु बचत निधि, राज्य भविष्य निधि, आरक्षित निधि और जमा और अन्य लेखा शामिल हैं। केंद्र सरकार की कुल देनदारियों के प्रमुख घटकों का संक्षिप्त विवरण तालिका 6 में देखा जा सकता है।


तालिका 6: केंद्र सरकार की ऋण स्थिति (₹ लाख करोड़ में)

घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 पीए
1	2	3	4	5	6	7	8
ए. सार्वजनिक ऋण (ए1+ए2)	51.05	57.11	61.50	68.45	75.49	85.65	105.24
ए1. आंतरिक ऋण (ए+बी)	47.38	53.05	57.42	64.01	70.75	80.20	99.09
क. विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ	43.08	47.28	50.49	55.10	59.69	65.60	78.60
ख. गैर-विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ	4.29	5.77	6.93	8.91	11.06	14.60	20.50
ए 2. बाह्य ऋण	3.66	4.07	4.08	4.45	4.74	5.44	6.15
ख. लोक लेखा - अन्य देयताएं	7.62	8.16	8.57	9.15	9.96	13.70	12.74
ग. अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर)	-	-	0.09	0.24	0.99	1.12	1.43
घ. कुल देयताएं (ए+बी+सी)	58.66	65.27	70.16	77.85	86.35	99.91	117.04

स्रोत: केंद्रीय बजट और वित्त लेखा (विभिन्न मुद्दे); अनंतिम लेखा, सीजीए।

39. चित्र 18 से पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में केंद्र सरकार की कुल देनदारियां, जो पिछले एक दशक में अपेक्षाकृत स्थिर थीं, 2020-21 में तेजी से बढ़ी हैं। यह वृद्धि कोविड-19 महामारी के साथ-साथ सकल घरेलू उत्पाद में तेज संकुचन के कारण अधिक उधार लेने के कारण है। हालांकि, आने वाले वर्षों में ऋण-जीडीपी में गिरावट की संभावना है।

चित्र 18: केंद्र के ऋण-जीडीपी अनुपात में रुझान




स्रोत: सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र के विभिन्न मुद्दे;

नोट: 2020-21 के आंकड़े अनंतिम हैं



2.40 सार्वजनिक ऋण पोर्टफोलियो-बाह्य उधार पर कम निर्भरता और निश्चित कूपन पर अधिकांश प्रतिभूतियों को जारी करने के कारण - कम मुद्रा और ब्याज दर जोखिम प्रदर्शित करता है। इसके अलावा, अधिकांश बाह्य उधार आधिकारिक स्रोतों से हैं जो दीर्घकालिक और रियायती प्रकृति के हैं। परिपक्वता प्रोफाइल को बढ़ाने की दृष्टि से अल्पकालिक बांड जारी करने के कारण रोल ओवर जोखिम भी कम है। पांच साल से कम समय में परिपक्व होने वाली दिनांकित प्रतिभूतियों के अनुपात में हाल के वर्षों में लगातार गिरावट देखी गई है। सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक की भारित औसत परिपक्वता मार्च 2010 के अंत में 9.7 वर्ष से बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 11.31 वर्ष हो गई है, जिससे रोलओवर जोखिम कम हो गया है (चित्र 19)।

**चित्र 19: केंद्र सरकार की बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों की परिपक्वता प्रोफाइल (कुल प्रतिशत के अनुसार)**



स्रोत: सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र; सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट; पी: अर्न्तम

2.41 सार्वजनिक ऋण बड़े पैमाने पर बैंकों, बीमा कंपनियों, प्रोविडेंट फंड आदि जैसे संस्थागत क्षेत्रों के स्वामित्व में है। मार्च 2021 के अंत में वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी 37.77 प्रतिशत थी, जो मार्च 2020 के अंत में 40.4 प्रतिशत से कम थी। मार्च 2021 के अंत में बीमा कंपनियों और प्रोविडेंट फंड का हिस्सा क्रमशः 25.3 प्रतिशत और 4.44 प्रतिशत थी। मार्च 2020 के अंत में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 1.4 प्रतिशत थी जो बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 2.94 प्रतिशत हो गई। मार्च-2020 के अंत में आरबीआई का हिस्सेदारी 15.1 प्रतिशत थी जो मार्च 2021के अंत में बढ़कर 16.2 प्रतिशत हो गया। ऋण प्रबंधन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दिनांकित प्रतिभूतियों की योजना का संचालन किया जाता है, जिसमें जोखिम के विवेकपूर्ण स्तरों को मानते हुए और बाजार के विकास को बढ़ावा देते हुए ऋण की लागत को कम रखा जाता है। ये सभी कारक सार्वजनिक ऋण पोर्टफोलियो को स्थिर और टिकाऊ भी बनाते हैं।


2.42 एक जीवंत द्वितीयक बाजार निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को इच्छानुसार संतुलित करने का अवसर प्रदान करता है। 40 साल तक की सरकारी प्रतिभूतियों की उपलब्धता निवेशकों को व्यापक विकल्प प्रदान करती है। ट्रेडिंग हालांकि वर्तमान में कुछ प्रतिभूतियों में केंद्रित है और अधिक प्रसार के संकेत दर्शा रही है। इसके अलावा, आरबीआई द्वारा हाल ही में शुरू की गई खुदरा प्रत्यक्ष योजना मध्यम वर्ग, छोटे व्यवसायियों और वरिष्ठ नागरिकों की बचत को सीधे जोखिम मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों में बदलने में सहायक होगी। जी-सेक बाजार में खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों की कुशल सीधी पहुंच को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, जो पहले केवल बड़े संस्थागत निवेशकों द्वारा सीधे पहुँच बनाया जा रहा था, यह योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगी और निवेशक आधार को व्यापक बनाएगी।

2.43 योजना के तहत, खुदरा निवेशक एक ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके एक खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट (RDG) खाता खोलने में सक्षम होगा, जिसके माध्यम से वह सीधे न्यूनतम ? 10,000 और अधिकतम ? 2 करोड़ प्रति प्रतिभूति निवेश कर सकता है। खुदरा निवेशक न केवल सभी केंद्रीय और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों जैसे कि ट्रेजरी बिल और बांड के प्राथमिक निर्गम में एक गैर-प्रतिस्पर्धी बोली लगा सकते हैं, बल्कि नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस ओएम) - आरबीआई की ट्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से द्वितीयक बाजार तक भी पहुंच सकते हैं, जो कि पहले केवल चुनिंदा वित्तीय संस्थानों के लिए ही सुलभ था। अभी तक, जी-सेक का बड़ा हिस्सा कुछ संस्थागत निवेशकों जैसे वाणिज्यिक बैंकों, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंडों के पास है। विविध निवेशक आधार सरकार को अपने उधार कार्यक्रम में लचीलापन प्रदान करता है। साथ ही, यह विभिन्न निवेशक श्रेणियों से जी-सेक की स्थिर मांग को सक्षम करेगा।

### राज्य वित्त

2.44 राज्यों के सकल राजकोषीय घाटा 2020-21 आरई और 2021-22 बीई के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) की सीमा को पार करने का अनुमान है। राज्यों का राजस्व घाटा भी 2018-19 में जीडीपी के 0.1 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 (आरई) में जीडीपी का 2 प्रतिशत हो गया (चित्र 20)। उधार सीमा में यह छूट कोविड-19 के कारण राज्यों की अतिरिक्त व्यय संबंधी आवश्यकताओं और सीमित राजस्व के कारण दी गई थी। राज्यों की शुद्ध उधार सीमा को वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों के जीएसडीपी के 5 प्रतिशत और 2021-22 के लिए राज्यों के जीएसडीपी के 4 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था। विवरण बॉक्स 3 में देखा जा सकता है। राज्यों के लिए सकल राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा दोनों, जो 2020-21 में उच्च स्तर तक पहुंच गया था, के वर्ष 2021-22 में गिरावट का अनुमान है।

चित्र 20: राज्यों का प्रमुख घाटा और ऋण संकेतक



स्रोत: आरबीआई राज्य वित्त: बजट का एक अध्ययन; आरई: संशोधित अनुमान;

बीई: बजट अनुमान

नोट: राज्यों में विधायिका वाले 29 राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

2.45 पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) ने राज्यों के लिए निर्धारित शुद्ध उधार सीमा के अलावा, बिजली क्षेत्र में राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.50 प्रतिशत के प्रदर्शन आधारित अतिरिक्त उधार की सिफारिश की थी। अतिरिक्त उधार का उद्देश्य क्षेत्र की परिचालन और आर्थिक दक्षता में सुधार करना और भुगतान की गई बिजली की खपत में निरंतर वृद्धि को बढ़ावा देना है। 2021-22 से 2024-25 तक चार साल की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष इस विशेष छूट की सिफारिश की गई है।

2.46 राज्य सरकारों के 2021-22 के बजट अनुमानों के अनुसार, 2020-21 आरई में प्रदर्शित खराब विकास के मुकाबले राज्यों का अपना कर राजस्व और स्वयं का गैर-कर राजस्व 2020-21 के संशोधित अनुमान की तुलना में क्रमशः 28.5 प्रतिशत और 36 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। व्यय पक्ष पर, 2021-22 बजट अनुमान में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को 2020-21 संशोधित अनुमान (तालिका 7 देखें) की तुलना में क्रमशः 12.1 प्रतिशत और 30.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की परिकल्पना की गई थी।

2.47 राज्य के वित्त पर आरबीआई के अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि राज्यों ने 2021-22 बीई में 2020-21 आरई की तुलना में उच्च पूंजी परिव्यय के लिए बजट तैयार किया है। राज्यों द्वारा बढ़ाए गए कैपेक्स परिव्यय चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, शहरी विकास, जल आपूर्ति और स्वच्छता, सिंचाई और परिवहन जैसे क्षेत्रों में हैं। पूंजीगत व्यय के प्रति राज्यों की राजकोषीय नीति के महत्व पर जोर देने के क्रम में केंद्र सरकार ने 2021-22 में पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना जारी रखी है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच राज्य सरकारों का समर्थन करने के लिए तेजी से आर्थिक सुधार की दिशा में उठाए। केंद्र सरकार द्वारा गए कदमों को बॉक्स 3 में देखा जा सकता है।

**तालिका 7: राज्यों के राजकोषीय संकेतक**

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 आरई	2021-22 बीई
(₹ लाख करोड़ में; कोष्ठक में संख्या वृद्धि दर है)						
स्वयं का कर राजस्व	9.46 (11.3)	11.3 (19.5)	12.15 (7.5)	12.24 (0.7)	12.41 (1.4)	15.95 (28.5)
स्वयं का गैर-कर राजस्व	1.7 (14.0)	1.8 (5.3)	2.19 (21.7)	2.61 (19.2)	2.11 (-19.2)	2.87 (36.0)
राजस्व व्यय	21.22 (15.3)	23.4 (10.3)	26.38 (12.7)	27.92 (5.8)	31.86 (14.1)	35.72 (12.1)
पूंजीगत व्यय	5.17 (23.1)	4.31 (-16.6)	4.87 (13.0)	4.6 (-5.5)	5.54 (20.4)	7.23 (30.5)

स्रोत: आरबीआई राज्य वित्त: 2020-21 के लिए बजट का एक अध्ययन,

आरई: संशोधित अनुमान; बीई: बजट अनुमान;

नोट: राज्यों में 2017-18 से 2 केंद्र शासित प्रदेश (दिल्ली और पुडुचेरी) भी शामिल हैं  
कोष्ठक में संख्या वृद्धि दर है

### बॉक्स 3: 2021-22 के दौरान राज्यों को समर्थन देने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए उपाय

केंद्र सरकार ने महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में राज्यों को निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए लगातार कदम उठाए हैं। ये उपाय इस प्रकार हैं:

#### 1. राज्यों के लिए उधार लेने की बढ़ी हुई सीमा

वित्त वर्ष 2020-21: आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, राज्यों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 2 प्रतिशत तक की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी गई थी, जो रुपये 4.27 लाख करोड़ के बराबर थी। राज्यों को दी गई अतिरिक्त 2 प्रतिशत उधारी में से 0.5 प्रतिशत उधार की पहली किस्त सभी राज्यों के लिए थी। जीएसडीपी के 1 प्रतिशत की राशि का दूसरा भाग निम्नलिखित चार विशिष्ट राज्य स्तरीय सुधारों के कार्यान्वयन के अधीन था, जहां प्रत्येक सुधार का भार जीएसडीपी का 0.25 प्रतिशत है: -

- क) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन;
- ख) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार;
- ग) शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुधार; तथा
- घ) विद्युत क्षेत्र में सुधार

वहीं दूसरी ओर, जीएसडीपी का 0.5 प्रतिशत, जो पहले ऊपर उल्लिखित 4 सुधारों में से कम से कम 3 को पूरा करने से जुड़ा था, जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली कमी को पूरा करने के लिए विकल्प 1 चुनने वाले राज्यों के लिए किया गया था। 17 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम लागू किया, 20 राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में निर्धारित सुधारों को पूरा किया, 11 राज्यों ने स्थानीय निकाय सुधार किए और 17 राज्यों ने पूरी तरह से / आंशिक रूप से बिजली क्षेत्र में सुधार किए। इस प्रकार, वर्ष 2020-21 में राज्यों को कुल उधार के रूप में 319,939 करोड़ रुपये जारी करने की अनुमति दी गई थी जिसमें से राज्यों को अधिकतम 2 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार की अनुमति दी गई थी।

वित्त वर्ष 2021-22: वर्ष 2021-22 में राज्यों की शुद्ध उधारी राज्यों के जीएसडीपी के 4% पर 8,46,922 करोड़ रुपये पर निर्धारित की गई है। 2021-22 में राज्यों के लिए जीएसडीपी के 4% की शुद्ध उधार सीमा (एनबीसी) में से, जीएसडीपी का 0.50 प्रतिशत 2021-22 के दौरान राज्यों द्वारा किए जाने वाले वृद्धिशील पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किया गया था। इसके लिए प्रत्येक राज्य में पूंजीगत व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वृद्धिशील उधार के संबंध में पात्रता हासिल करने के लिए, राज्यों को 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्य का कम से कम 15 प्रतिशत 2021-22 की पहली तिमाही के अंत तक, दूसरी तिमाही के अंत तक 45 प्रतिशत, तीसरी तिमाही के अंत तक 70 प्रतिशत और 31 मार्च 2022 तक 100 प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक था। त्रैमासिक पूंजीगत व्यय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 15 नवंबर 2021 को, कुल अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति के रूप में राज्यों को रु 32,412 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें से 11 राज्यों को पहली तिमाही के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 15721 करोड़ रुपये और दूसरी तिमाही के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 7 राज्यों को 16691 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

#### 2. जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में राज्यों को ऋण

राज्यों को भुगतान किए जाने वाले माल और सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे में कमी को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 में एक विशेष उधार विंडो की स्थापना की थी। इस विंडो के माध्यम से भारत सरकार द्वारा 2020-21 के दौरान राज्यों और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से 1,10,208 करोड़ रुपये की राशि उधार लिए गए थे तथा जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अपर्याप्त शेष के कारण मुआवजे की राशि जारी न होने के कारण संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की

मदद के लिए बैंक टू बैंक आधार पर राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को ऋण के रूप में पारित किया गया था। 1.59 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए उपरोक्त उधार व्यवस्था को चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बढ़ा दिया गया था। सभी पात्र राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल के साथ) ने बैंक-टू-बैंक ऋण सुविधा के तहत मुआवजे की कमी के वित्तपोषण की व्यवस्था के लिए सहमति व्यक्त की है। कोविड-19 महामारी के प्रभावी प्रबंधन और पूंजीगत व्यय में एक कदम बढ़ाने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उनके प्रयासों में सहायता करने के लिए, वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक-टू-बैंक ऋण सुविधा के तहत 1.59 लाख करोड़ रुपये की सहायता जारी करने की शुरुआत की है।

### 3. पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना

कोविड-19 महामारी के चलते कर राजस्व में कमी के कारण 2020-21 के दौरान राज्य सरकारों के समक्ष उत्पन्न वित्तीय वातावरण को ध्यान में रखते हुए, 'पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' को मंजूरी दी गई, जिसमें राज्य सरकारों को 2020-21 के दौरान 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 11830.29 रुपये की विशेष सहायता को मंजूरी प्रदान किया गया। पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता की यह योजना वर्ष 2021-22 के लिए रुपये 10,000 करोड़ के आवंटन के साथ बढ़ा दी गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की योजना के तीन भाग हैं:

भाग- I 8 उत्तर पूर्वी राज्यों अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा और पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए है। इस भाग के लिए आवंटित राशि रु. 2,600 करोड़ है। इस राशि में से रु. 1400 करोड़ को 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में समान रूप से विभाजित किया गया है जबकि असम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए समान रूप से रु. 1200 करोड़ (प्रत्येक राज्य को 400 करोड़ रुपये) निर्धारित किए गए हैं।


भाग- II अन्य सभी राज्यों के लिए है जो भाग-I में शामिल नहीं हैं। इस भाग के लिए 7,400 करोड़ रुपये रुपये की राशि निर्धारित की गई है। 15वें वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार यह राशि इन राज्यों के बीच वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय करों में उनके हिस्से के अनुपात में आवंटित की गई है।

भाग- III राज्य सरकारों को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) के निजीकरण/विनिवेश और परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण/पुनर्चक्रण के संबंध में प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए है। इस भाग के तहत, राज्यों को स्कीम के भाग-I/भाग-II के तहत उनके आवंटन के अलावा 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी। योजना के इस हिस्से के लिए 5,000 करोड़ रुपये रुपये की राशि आवंटित की गई है।

## सामान्य सरकारी वित्त

2.48 सामान्य सरकारी वित्त समग्र रूप से सरकारी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति का एक सिंहावलोकन देते हैं। चित्र 21 पिछले कुछ वर्षों में सामान्य सरकारी ऋण और घाटे की प्रवृत्तियों को दर्शाता है। राजस्व में कमी और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न उच्च व्यय संबंधी आवश्यकताओं के कारण केंद्र और राज्यों द्वारा लिए गए अतिरिक्त उधार के कारण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सामान्य सरकारी देनदारियां 2020-21 के दौरान तेजी से बढ़ीं। हालांकि, 2021-22 बीई में, राजकोषीय संकेतकों के अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ बदलाव होने की उम्मीद है और सामान्य सरकार से राजकोषीय समेकन के मार्ग का अनुसरण करने की उम्मीद है। ऋण स्थिरता की गतिशीलता पर विस्तृत चर्चा खंड 1 (आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21) के अध्याय 2 में देखी जा सकती है।

चित्र 21: सामान्य सरकारी ऋण और घाटे में रुझान (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)



स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सांख्यिकी की आरबीआई हैंडबुक;

बीई: बजट अनुमान; पुनः संशोधित अनुमान

### सरकारी खर्च की दक्षता बढ़ाने संबंधी नीतिगत उपाय

2.49 जबकि पुनर्रचना व्यय राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, सरकारी व्यय की दक्षता में वृद्धि करना भी महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक क्रय, जिसमें न केवल दिन-प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का क्रय शामिल है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना का निर्माण भी सरकारी व्यय का एक महत्वपूर्ण घटक है। सरकार ने सार्वजनिक क्रय नीति की दक्षता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। इस खंड में दो तरह के सुधारों की चर्चा की गई ख पहला, नियमित क्रय के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस और दूसरा, सार्वजनिक क्रय और परियोजना प्रबंधन में सुधार के लिए नए दिशानिर्देश।

### गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जी ई एम)

2.50 सरकार ने 2016 में एक समर्पित ई-मार्केट की स्थापना की थी, जिसे गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जी ई एम) के रूप में जाना जाता है, जो कुछ मानक दिन-प्रतिदिन के उपयोग के सामान की क्रय के लिए है। यह क्रय के लिए एक सरल, पारदर्शी और पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया है। सामान्य वित्तीय नियम 2017 समस्त मंत्रालयों और विभागों को जेम से जेम पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की क्रय के लिए अनिवार्य करता है। जेम की शुरुआत के बाद क्रय पद्धति में प्रक्रियात्मक परिवर्तन नीचे दिए गए हैं (तालिका 8)।

## तालिका 8: जेम से पहले और बाद में सार्वजनिक क्रय की प्रक्रिया

श्रेणी	जेम से पहले	जेम के पश्चात
बोलियों के आमंत्रण की प्रक्रिया	बोलियों के आमंत्रण, बोली मूल्यांकन और बोली प्राप्तकर्ता को अंतिम रूप देने के लिए मैनुअल प्रक्रिया।	पूरी तरह से ऑनलाइन, वास्तविक दस्तावेज की कोई आवश्यकता नहीं है।
सार्वजनिक क्रय नीति	कई क्रय दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं सहित कई एजेंसियां।	स्पष्ट दिशानिर्देशों सहित एकल, एकीकृत, पूरी तरह से ऑनलाइन सार्वजनिक क्रय पोर्टल।
क्रय की पद्धति	कागजात आधारित क्रय प्रक्रिया सहित प्रत्यक्ष सम्पर्क	समयबद्ध भुगतान और वास्तविक समय की निगरानी सहित संपर्क रहित, कागज रहित और नकद रहित।
बातचीत और विचार-विमर्श की पद्धति	बोली लगाने वाले के साथ मैनुअल बातचीत और दरें तय करना और सभी बोलीदाताओं के लिए एक दर लागू करना।	स्वचालित, डिजिटलीकरण और पारदर्शी प्रक्रियाएं।
विक्रेताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया	विक्रेताओं का पंजीकरण एक मैनुअल प्रक्रिया थी जिसमें अधिकारियों द्वारा विक्रेता परिसर का दौरा करना शामिल था और इसमें समय की काफी बर्बादी होती थी।	संबंधित डोमेन डेटाबेस के साथ एपीआई एकीकरण के माध्यम से उपयोगकर्ताओं का प्रमाणीकरण किया जाता है।
बोली के योग्य प्रतिभागी	सीमित बोली और केवल पंजीकृत विक्रेता ही भाग ले सकते थे।	जब तक उत्पाद बोली से मेल खाता है, तब तक मंच का कोई भी विक्रेता बोली में भाग ले सकता है।
उत्पाद वितरण या प्रदान की गई सेवा की निगरानी	उत्पादों की वितरण में काफी विलम्ब और भुगतान में विलम्ब।	उत्पादों और सेवाओं की समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए रियल टाइम मानीटरिंग।

स्रोत: वाणिज्य मंत्रालय, पीआईबी

2.51 उपाख्यानानात्मक साक्ष्य बताते हैं कि जेम से पहले, सरकारी क्रय मूल्य बाजार में प्रचलित मूल्यों की तुलना में बहुत अधिक थे और अक्षमता और किराए की मांग के बारे में लगातार शिकायतें होती थीं। इस ई-मार्केटप्लेस के उपयोग के परिणामस्वरूप पहले इस्तेमाल की गई दरों की तुलना में कीमतों में काफी कमी आई है, और औसत कीमतों में कम से कम 15-20% की कमी दर्ज की गई। जबकि कुछ मामलों में तो मूल्यों में 56% तक की गिरावट दर्ज की गई<sup>3</sup>। बॉक्स 5 में वस्तुओं के चयनित नमूने के लिए जेम पोर्टल और अन्य ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर कीमतों को तुलनात्मक रूप से दर्शाया गया है।

**बॉक्स 5: अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तुलना में जेम पोर्टल पर विभिन्न वस्तुओं की कीमतें**

जेम पोर्टल पर विभिन्न वस्तुओं की कीमतों की तुलना कंपनी की वेबसाइटों या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, आदि के साथ नीचे तालिका में दी गई है। इसी तरह के विश्लेषण को आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अध्याय 6 में शामिल किया गया था। यथासंभव नजदीकी तुलना के लिए, पिछले वर्ष चुनी गई वस्तुओं के नमूने का हरसंभव उपयोग किया जाता है। ऐसे मामलों में जहां सटीक वस्तु उपलब्ध नहीं थी, नए उपलब्ध मॉडलों को चुना गया था। जबकि पिछले वर्ष के विश्लेषण में, अन्य प्लेटफॉर्मों की तुलना में जेम की कीमतें औसतन 3 प्रतिशत कम थीं, इस बार यह चुने हुए नमूने के लिए लगभग 9.5 प्रतिशत कम है। नमूने में शामिल 22 वस्तुओं में से 10 अन्य प्लेटफॉर्म की तुलना में जीईएम पोर्टल पर सस्ती थीं।



## तालिका: जेम पोर्टल के मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन ( 6 जनवरी 2022 तक )

नाम और विवरण (मॉडल, विशेषताएं)	जेम पर मूल्य (रुपये में)	अमेजोन/फ्लिपकार्ट/ कंपनी की वेबसाइट आदि पर कीमत (रुपयों में)	प्रस्तावित मूल्य में % भिन्नता (बाजार की कीमतों से अधिक जेम की कीमतें)
पार्कर जोटर स्टैंडर्ड बॉल पेन	एमआरपी: 250; प्रस्तावित मूल्य (ओपी): 200	अमेजोन; एमआरपी: 250; ओपी: 207	-3.50
रोरिटो ग्रीट्ज जेल पेन मैक्सट्रॉन गोल्ड रोबोटिक फ्लूइड इंक सिस्टम पेन-ब्लू	एमआरपी: 99; ओपी:51	अमेजोन; एमआरपी: उल्लेख नहीं किया गया; ओपी: 119	-133.33
सैमसंग बेसिक टेलीविजन टीवी 43 इंच एलईडी बैकलिट एलसीडी मॉडल: सैमसंग डीसी43जे	एमआरपी: 49,069 ओपी: 40,000; वारंटी- 5 वर्ष	अमेजोन.इन- एमआरपी: 69,000 ओपी: 43,900	-9.75
ओमरोन व्हाइट एचईएम 7156एपी ब्लड प्रेशर मॉनिटर	एमआरपी: 3,860; ओपी: 3,100; वारंटी - 2 वर्ष	इंडस्ट्रीआऊल.कॉम एमआरपी: 2749; ओपी: 2,749 वारंटी - 3 वर्ष	11.32
एचपी लेजरजेट एंटरप्राइज एम507डीएन	एमआरपी: 81,780 ओपी: 69,005 वारंटी - 3 वर्ष	अमेजोन; एमआरपी: 82,450; ओपी: 69,005 वारंटी - 1 वर्ष	0.00
कोरेस ईजी कट 871 पेपर श्रेडर	एमआरपी: 25,490, ओपी: 22,940	अमेजोन; एमआरपी: 23,990, ओपी: 20,130	12.25
हीरो साइकिलस जेट गोल्ड 28टी यूनिसेक्स रोड साइकिल (सिंगल स्पीड, ब्लैक)	एमआरपी: 8,900; ओपी: 5,599	अमेजोन; एमआरपी: 6,250; ओपी: 5,500	1.77
मिल्टन 1500 मिली थर्मस	एमआरपी: 1,560, ओपी: 1,101	अमेजन: एमआरपी: 1,875; ओपी: 1,499	-36.15
नीलकमल डस्ट्रिबन 60 लीटर	एमआरपी: 2,150, ओपी: 840	अमेजन- एमआरपी: 1,599; ओपी: 1,350	-60.71
नीलकमल पिननेकल हाई बैक चेयर	एमआरपी: 23,500, ओपी: 21,150	नीलकमलफर्निचर.कॉम एमआरपी: 17,000; ओपी: 16,674	21.16
बजाज पल्सर 220 एफ	एमआरपी: 1,18,250 ओपी: 1,18,250	बाइकवाले.कॉम- एमआरपी: 1,30,827 (नई दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत)	-10.64
गोदरेज इंटेरियो एलिट मिड बैक चेयर	एमआरपी: 15,020, ओपी: 13,150	गोदरेज इंटेरियो वेबसाइट- एमआरपी: 15,020	-14.22
गोदरेज इंटेरियो स्टील अलमारी 2400 मिमी (स्लाइड एन स्टोर कॉम्पैक्ट प्लस अलमारी)	एमआरपी: 34,374, ओपी: 32,239	गोदरेज इंटेरियो वेबसाइट- एमआरपी: 34,374	-6.62
गोदरेज इंटेरियो राइन 3-सीटर रेक्लाइनर	एमआरपी: 60,226, ओपी: 54,203 वारंटी- 1 वर्ष	अमेजोन; एमआरपी: 66,444, ओपी: 66,444 वारंटी- 1 वर्ष	-22.58
डेल ऑप्टिप्लेक्स 5490 एआईओ	एमआरपी: 125,000, ओपी: 98,560 वारंटी: 3 वर्ष	एचपी वेबसाइट एमआरपी: 138,490; ओपी: 79,069 वारंटी: 1 वर्ष 2 वर्ष की अतिरिक्त वारंटी: 10,500	9.12



माइक्रोटेक ट्विन गार्ड प्रो+ 1000वीए यूपीएस	एमआरपी: 6,700, ओपी: 6,030	फ्लिपकार्ट एमआरपी: 6,000, ओपी: 5,100	15.42
सोनी एमएचसी-वी21डी हाई पावर पोर्टेबल पार्टी सिस्टम (एचडीएमआई, डीवीडी, ब्लूटूथ, एनएफसी और यूएसबी) ख ब्लैक	एमआरपी: 27,999, ओपी: 24,997	एमआरपी: 27,999, ओपी: 18,999	23.99
एंबरेन 27000एमएच ली-पॉलिमर पावरबैंक टाइप सी के साथ	एमआरपी: 3,999, ओपी: 1,390	एमआरपी: 3,400, ओपी: 1,999	-43.81
ब्लू स्टार फ्लोर माउंटेड हॉट, कोल्ड एंड नॉर्मल वाटर डिस्पेंसर	एमआरपी: 9,900, ओपी: 8,570	एमआरपी: 11,700, ओपी: 8,398	2.01
बजाज मेजेस्टी आरएच11 एफ प्लस ऑइल फिल्टर रूम हीटर	एमआरपी: 15,000, ओपी: 11,113	एमआरपी: 12,171, ओपी: 10,299	7.32
नीलगगन नोटपैड नंबर 33, 160 पेज/नोटपैड, 05 का पैक	एमआरपी: 480, ओपी: 190	एमआरपी: 499, ओपी: 179	5.79
फिलिप्स बेस बी22 7-वाट एलईडी बल्ब	एमआरपी: 160, ओपी: 143	एमआरपी: 140, ओपी: 111	22.38

स्रोत: जेम पोर्टल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उत्पाद वेबसाइटें

टिप्पणी: ओपी: प्रस्तावित मूल्य

ये परिणाम मोटे तौर पर विश्व बैंक द्वारा किए गए जेम के आकलन के अनुरूप हैं, जिसमें यह पाया गया कि जेम ने फरवरी 2019 और जनवरी 2020 के बीच की अवधि के लिए औसत मूल्य पर 9.75 प्रतिशत की औसत बचत करने में मदद की। शीर्ष पांच में अधिकतम बचत श्रेणी 23.5 प्रतिशत से 60.5 प्रतिशत के बीच रही। अध्ययन से ही यह संभव हो पाया कि प्रति बोली सहभागिता में वृद्धि हुई और बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिली।

## गैर-मानक वस्तुओं, सेवाओं और परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक क्रय नीति

2.52 जीईएम, से सामान्य वस्तुओं और सेवाओं के क्रय के अलावा, सरकार गैर-नियमित वस्तुओं, सेवाओं और कार्यों की भी क्रय करती है जैसे राजमार्गों, का निर्माण, भवनों, सलाहकारों को काम पर रखना आदि। यह सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्रय पोर्टल का उपयोग करके किया जाता है। जीएफआर 2017 दिशानिर्देशों में क्रय की विविध श्रेणियों हेतु बोलीदाताओं के चयन और मूल्यांकन के लिए तीन तरीके उपलब्ध कराए गए हैं, जैसे कम लागत प्रणाली<sup>4</sup>, गुणवत्ता-सह-लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस)<sup>5</sup> और क्रय की विभिन्न श्रेणियों के लिए एकल स्रोत चयन<sup>6</sup> (एसएसएस)। हालांकि, व्यवहार में, स्वाभाविक रूप से, ज्यादातर मामलों में, न्यूनतम लागत प्रणाली का सिद्धांत, जिसे आमतौर पर “एल 1” के रूप में जाना जाता है, सबसे प्रचलित है।

2.53 जबकि L1 प्रणाली नियमित कार्यों और गैर-परामर्श सेवाओं की क्रय के लिए अच्छी हो सकती है, किन्तु यह विधि उच्च प्रभाव, जटिल और प्रौद्योगिकी-गहन क्रय के लिए नवाचार, गुणवत्ता, गति और कार्यक्षमता की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग और नीति आयोग सहित विभिन्न संगठनों ने पिछले कई वर्षों में मौजूदा क्रय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता की वकालत की है। उन्होंने तर्क दिया कि केवल स1 पर निर्भर रहना अच्छी तरह से काम नहीं करता है और ‘एक आकार सभी फिट बैठता है’ से ‘उद्देश्य के लिए उपयुक्त’ दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है और गैर-मूल्य विशेषताओं पर विचार करने के लिए वैल्यू फॉर मनी, रेटेड मानदंड जैसे विभिन्न विकल्पों को क्रय के तरीकों में शामिल किया जा सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अध्याय 6 में भी सार्वजनिक क्रय के लिए एल1 से आगे जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

2.54 एल 1 के अलावा क्रय के 6 वैकल्पिक तरीके, जैसे कि वैल्यू फॉर मनी, रेटेड मानदंड गैर-मूल्य विशेषताओं पर विचार करने के लिए तकनीकी कौशल, पिछले अनुभव और अन्य गैर-मूल्य विशेषताओं की एक निश्चित मात्रा के आधार पर ठेकेदार को चुनने की अनुमति देता है। यह ठेकेदारों पर भावी संविदा के पात्र होने के लिए सही काम निष्पादित करने का अप्रत्यक्ष दबाव डालता है, इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि ठेकेदार अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम करेगा। साक्ष्य बताते हैं कि जिन ठेकेदारों के पास 'स्किन इन द गेम' है, वे इष्टतम दीर्घकालिक निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं। सिंह (2019)<sup>7</sup> इंगित करते हैं कि एल1 द्वारा निष्पादित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को बंडलिंग संविदाओं (आमतौर पर पीपीपी कहा जाता है) के साथ संयुक्त रूप से निष्पादित करने पर परियोजना में विलंब कम हुआ और बेहतर गुणवत्ता बेहतर हुई अर्थात् पारंपरिक अनबंडलिंग संविदाओं यानी मानक एल 1 प्रक्रिया की तुलना में उपर्युक्त परियोजनाएँ बेहतर तरीके से निष्पादित हुई। । यह परिणाम दोनों प्रकार की परियोजनाओं द्वारा समान पर्यावरणीय और नियामक स्थितियों का सामना करने के बावजूद होता है।

2.55 पूर्व की क्रय रणनीति की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अक्टूबर 2021 में क्रय और परियोजना प्रबंधन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए, जिसने सरकारी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने और सामान और सेवाओं की क्रय के लिए बोली लगाने वालों के चयन के दायरे का विस्तार किया है। प्रक्रिया में मुख्य परिवर्तन इस प्रकार हैं:

- **निर्माण कार्य और गैर-परामर्श सेवाओं के लिए क्यूसीबीएस:** संशोधित दिशानिर्देश अब निर्माण कार्य और गैर-परामर्श सेवाओं के लिए बोलीदाताओं के चयन के लिए गुणवत्ता-सह-लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) की अनुमति देते हैं (जहां क्रय का अनुमानित मूल्य 10 रुपये से अधिक नहीं है), जैसा कि पहले के क्रय दिशानिर्देशों (तालिका 3) में केवल परामर्श सेवाओं के विपरीत था। बोलीदाताओं को लागत और तकनीकी दोनों मानकों पर अंक दिए जाएंगे और उच्चतम भारित संयुक्त स्कोर (गुणवत्ता और लागत) के साथ एक का चयन किया जाएगा। गैर-वित्तीय मानकों के लिए अधिकतम भार 30 प्रतिशत है।
- **निर्माण कार्य और गैर-परामर्शी सेवाओं के लिए क्यूसीबीएस के तहत मूल्यांकन/योग्यता और स्कोरिंग मानदंड का निर्धारण:** गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने क्रय संस्थाओं को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर मूल्यांकन में उपयोग किए गए कुछ मानदंडों को अनिवार्य बनाने का विकल्प दिया है। क्रय करने वाली संस्थाओं को अब उन विशिष्टताओं में संशोधन करने की स्वतंत्रता है जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। पूर्व-अपेक्षित मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली किसी भी बोली का और अधिक मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, बोलीदाता द्वारा समान प्रकृति की पिछली परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए वेटेज भी दिया जा सकता है। स्कोरिंग मानदंड में, गुणवत्ता अनुपालन के लिए अंक भी शामिल किए गए हैं।
- **भुगतान करने के लिए निर्धारित समय सीमा:** ठेकेदारों को भुगतान में देरी के परिणामस्वरूप लंबे समय तक परियोजना निष्पादन, लागत में वृद्धि और विवाद होते हैं। नए दिशानिर्देश बिल जमा करने के 10 कार्य दिवसों के अंदर उठाए गए बिलों के 75 प्रतिशत या उससे अधिक के भुगतान को समय पर जारी करने का प्रावधान करते हैं। शेष बिल भुगतान 28 कार्य दिवसों के अंदर अंतिम जाँच के बाद किया जाएगा। यदि बिलों के भुगतान में 30 कार्य दिवसों से अधिक की देरी होती है, तो क्रय करने वाली संस्था ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होती है।

- **एकल बोली अस्वीकृति:** नए नियम सार्वजनिक प्राधिकरणों को एकल बोली को वैध मानने के लिए निर्धारित करते हैं बशर्ते कि क्रय को संतोषजनक ढंग से विज्ञापित किया गया था, बोलियां जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, गुणात्मक मानदंड अनुचित रूप से प्रतिबंधात्मक नहीं थे और कीमतें बाजार मूल्यों की तुलना में उचित हैं।
- **परामर्श सेवाओं के लिए निर्धारित बजट आधारित चयन:** परामर्श सेवाओं के लिए एक अतिरिक्त पद्धति, निर्धारित बजट आधारित चयन जोड़ा गया है जिसमें आवश्यक परामर्श सेवा का प्रकार सरल और/या दोहराव वाला है और इसे विधि पूर्वक परिभाषित किया जा सकता है। इस पद्धति के तहत, परामर्श सेवाओं की लागत को निविदा दस्तावेज में ही नियत बजट के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा। परामर्श कार्य की मूल और दोहराव वाली प्रकृति के कारण, इसके बजट का उचित अनुमान लगाया जा सकता है।

**तालिका 9: सार्वजनिक क्रय के वैकल्पिक तरीके**

विकल्प	वस्तुएं	निर्माण	सेवाएं ( परामर्शदाता )	सेवाएं ( गैर-परामर्शदाता )
न्यूनतम लागत प्रणाली (एलसीएस)	√	√	√	√
गुणवत्ता -सह-लागत आधारित चयन	X	√√	√	√√
एकल स्रोत चयन	√	√	√	√
निर्धारित बजट आधारित चयन	X	X	√√	X

स्रोत: सामान्य वित्तीय नियम

नोट: अ - जीएफआर में उपलब्ध; - 2021 अधिसूचना में अनुमति दी गई X- अनुमति नहीं है

**अनुलग्नक 1: 2021-22 के दौरान सीबीडीटी द्वारा प्रत्यक्ष कर उपाय****कर व्यवस्था में सुधार**

- सरकार का जोर अधिक पारदर्शी, कुशल और करदाता के अनुकूल कर व्यवस्था उपलब्ध कराने और करदाताओं की सुविधा में विस्तार पर रहा है और इसी अनुक्रम में सरकार द्वारा कई तरह की पहल की शुरूआत की गई है। ये निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन को भी सुनिश्चित करेंगे।

**करदाताओं के लिए अनुपालन में आसानी**

- अधिकांश प्रक्रियाओं और अनुपालन आवश्यकताओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अंतरित कर दिया गया है और करदाताओं के लिए आयकर कार्यालयों का प्रत्यक्षतः दौरा करने की आवश्यकता को समाप्त या कम कर दिया गया है। करदाताओं के साथ बातचीत में विश्वास और सम्मान की भावना परिलक्षित होती है, जो स्वैच्छिक अनुपालन पर अधिक निर्भर करती है।
- 2021 में एक नया ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया गया था जिसमें आईटीआर रिटर्न की तत्काल प्रसंस्करण के साथ एकीकृत एक नया करदाता-अनुकूल पोर्टल, पहले से भरे हुए (प्री फिल्ड) रिटर्न, मुफ्त आईटीआर को तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर, चौट सहित करदाता सहायता के लिए नया कॉल सेंटर जैसी बेहतर सुविधाओं के साथ बॉट/लाइव एजेंट और मोबाइल ऐप फंक्शन शुरू किया गया था।
- 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के बोझ को कम करने के लिए, उन्हें केवल पेंशन आय और ब्याज आय होने पर आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है। उनके मामले में निर्दिष्ट बैंक उनकी आय की गणना और कर की कटौती के लिए जिम्मेदार होगा।
- असेसमेंट को फिर से खोलने की समय सीमा भी छह साल से घटाकर तीन साल कर दी गई है। तीन वर्ष की अवधि के बाद, केवल उन मामलों में जहां खाते की किताबें/दस्तावेज/एक वर्ष में 50 लाख रुपये या उससे अधिक की आय को छिपाने के साक्ष्य संपत्ति के रूप में दर्शाए गए हैं, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के अनुमोदन से 10 वर्ष की अवधि के भीतर केवल एक अवधि के मूल्यांकन को फिर से खोला जा सकता है।
- कुछ अनिवासी व्यक्तियों को भी निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता से छूट दी गई है। छूट का लाभ निर्धारण वर्ष 2021-22 से उपलब्ध है। अनिवासी भारतीयों को उनके विदेशी सेवानिवृत्ति खातों में अर्जित आय पर आने वाली समस्याओं के संबंध में भी राहत प्रदान की गई है।
- शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को चलाने वाले छोटे धर्मार्थ ट्रस्टों पर अनुपालन को कम करने के लिए, वित्त अधिनियम 2021 द्वारा ऐसे ट्रस्टों को कर छूट के माध्यम से राहत प्रदान किया गया है, और वार्षिक प्राप्तियों की मौजूदा सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये किया गया है। विभाग के साथ धर्मार्थ ट्रस्टों के पंजीकरण प्रक्रिया में कुछ सुधार भी किए गए हैं, जिसमें आवेदन दाखिल करने की ऑनलाइन प्रक्रिया, आवेदनों की ऑनलाइन प्रक्रिया और पंजीकरण आदेश पारित करना, आदाता द्वारा दान विवरण की ऑनलाइन फाइलिंग आदि शामिल हैं।
- वित्त अधिनियम 2021 ने मुकदमेबाजी को कम करने और विवादों को कम करने के लिए विवाद समाधान के रूप में एक विशेष तंत्र पेश किया है, विशेष रूप से छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए जिनकी कर योग्य आय 50 लाख रुपये तक है और 10 लाख रुपये की कोई भी विवादित आय इस समिति से संपर्क कर सकती है। यह नए विवादों को रोकेंगा और प्रारंभिक चरण में मामले को सुलझाएगा।

### पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए फेसलेस प्रक्रियाएं

- फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2020 में शुरू की गई थी, जो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के आधार पर कर व्यवस्था और मूल्यांकन की पुरानी प्रणाली को समाप्त कर देती है। यह गतिशील क्षेत्राधिकार के साथ यादृच्छिक रूप से चुनी गई आभासी टीमों द्वारा मूल्यांकन प्रदान करता है। दो लाख से अधिक मामलों का आवंटन किया गया है, जिनमें से 1.99 लाख करदाता के साथ बिना किसी बातचीत के पूरे किए गए हैं। अब तक लगभग 11.20 लाख नोटिस फेसलेस तरीके से जारी किए गए हैं, जिनमें से 6.93 लाख से अधिक मामलों (16.11.2021 तक) में प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं।
- फेसलेस अपील योजना भी शुरू की गई है जो करदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक मोड में अपने दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति देती है और उन्हें आयकर विभाग जाने की परेशानी से बचाती है। लगभग 88% अपीलों को फेसलेस अपील तंत्र के तहत नियंत्रित किया जाता है। अनुपालन को आसान बनाने के लिए, यह स्पष्ट किया गया है कि यदि फेसलेस मूल्यांकन कार्यवाही में ई-फाइलिंग खाते के माध्यम से दस्तावेज दाखिल किए जाते हैं तो ई-सत्यापन और डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- दंड लगाने की प्रक्रिया में अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करने के लिए फेसलेस पेनल्टी योजना 2021 भी शुरू की गई थी। यह योजना करदाताओं के लिए अपनी सुविधानुसार उत्तर प्रस्तुत करने और कार्यवाही में भाग लेना संभव बनाती है। यह आदेशों की सहकर्मी समीक्षा का भी प्रावधान करता है जिसके परिणामस्वरूप गुणात्मक रूप से बेहतर, उचित और निष्पक्ष आदेश प्राप्त होंगे।
- वित्त अधिनियम 2021 ने केंद्र सरकार को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) द्वारा अपील के निपटान के लिए एक योजना को अधिसूचित करने का अधिकार दिया है ताकि अपीलीय न्यायाधिकरण और अपील के पक्षकारों के बीच इंटरफेस को समाप्त करके अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही तय की जा सके और अपीलीय कार्यवाही के दौरान तकनीकी रूप से व्यवहार्य सीमा एवं किफायती पैमाने पर और कार्यात्मक विशेषज्ञता के माध्यम से संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित किया जा सके और गतिशील क्षेत्राधिकार के साथ एक अपीलीय प्रणाली को शुरू किया जा सके। ट्रिब्यूनल और अपीलकर्ता के बीच समस्त पत्र-व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक रूप से होंगे। यदि व्यक्तिगत सुनवाई की आवश्यकता हो तो वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी।

### अनुपालन आवश्यकता में कमी

- उन अनुपालनों को चिन्हित करने के लिए जिन्हें कम किया जा सकता है, आयकर अधिनियम और नियमों का व्यापक अध्ययन किया गया है। कुल 271 अनुपालनों में से, जो आयकर अधिनियम से संबंधित हैं, 74 अनुपालन पहले ही कम कर दिए गए हैं। हालांकि, शेष 197 अनुपालनों में से 152 पहले से ही ऑनलाइन हैं और 45 ऑफलाइन हैं। इन 45 ऑफलाइन अनुपालनों में से 42 अनुपालन ऑनलाइन किए जाएंगे। कुछ मामलों में पैन की अनुपलब्धता के कारण 3 अनुपालनों को मैन्युअल करने की आवश्यकता होगी। अनुपालन में आसानी के लिए करदाताओं को ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यदि ग्राहक ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है तो 2021 में जारी यूटिलिटी के जरिए करदाता अपने पैन से त्वरित समय ही जांच कर सकते हैं, और अतः कोई अतिरिक्त कर नहीं काटा जाएगा।

### निवेश बढ़ाने के उपाय

- विदेशी निवेश और कर निश्चितता को बढ़ावा देने के लिए, भारत में स्थित संपत्ति के अपतटीय अप्रत्यक्ष अंतरण के करधान के संबंध में वित्त अधिनियम 2012 द्वारा किए गए संशोधन के पूर्वव्यापी भाग को

कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 2021 द्वारा रद्द कर दिया गया है ताकि यदि लेनदेन 28 मई 2012 से पहले हुआ है, तो भारतीय संपत्ति के किसी भी अपतटीय अप्रत्यक्ष अंतरण के लिए उक्त पूर्वव्यापी संशोधन के आधार पर भविष्य में किस तरह की मांग न उठे। एक रूपरेखा अधिसूचित की गई है जिसमें शर्तों को निर्दिष्ट किया गया है जिसके तहत इस मुद्दे पर मौजूदा मुकदमे का निपटारा किया जा सकता है। इन मामलों में कुछ शर्तों को पूरा करने पर भुगतान/एकत्रित राशि बिना किसी ब्याज के वापस की जाएगी। भारतीय संपत्ति के अपतटीय अप्रत्यक्ष अंतरण पर पूर्वव्यापी कराधान को हटाना एक गैर-प्रतिकूल कर वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार के संकल्प को इंगित करता है।

- भारत के अवसंरचना क्षेत्र में सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड के विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त अधिनियम 2020 द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। वित्त अधिनियम 2021 ने कुछ शर्तों में ढील दी। जनवरी 2021 से, नौ सॉवरेन वेल्थ फंड और 14 पेंशन फंड को छूट का दावा करने के लिए अधिसूचित किया गया है।
- स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए, वित्त अधिनियम 2021 के द्वारा 31 मार्च 2022 तक निगमित स्टार्ट-अप के लिए करावकाश का दावा करने की पात्रता बढ़ा दी गई है। स्टार्ट-अप में निवेश के लिए पूंजीगत लाभ छूट को भी एक और वर्ष के लिए 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में स्थित इकाइयों को दुनिया में वित्तीय सेवाओं का केंद्र बनाने के लिए विभिन्न कर प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। आईएफएससी भारतीय कॉरपोरेट्स को वैश्विक वित्तीय बाजारों तक आसान पहुँच प्रदान करते हैं और भारत में वित्तीय बाजारों के और विकास को बढ़ावा देते हैं। वित्त अधिनियम 2021 में कई प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं जैसे विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों के लिए पूंजीगत लाभ पर करावकाश, विदेशी पट्टेदार को भुगतान किए गए विमान पट्टे के किराये के लिए कर छूट, आईएफएससी में विदेशी धन को अंतरित करने के लिए कर प्रोत्साहन और आईएफएससी में स्थित बैंक के विदेशी निवेश विभाग के लिए कर छूट की अनुमति देना।

### डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना

- डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करना और नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाना सरकार की घोषित नीति है। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, वित्त अधिनियम 2021 के माध्यम से, लेखा पुस्तकों की लेखापरीक्षित की मौद्रिक सीमा को उन व्यवसायों के मामले में 10 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है, जिनका कुल कारोबार या नकद में की गई सकल प्राप्तियां कुल कारोबार के 5% से अधिक नहीं हैं या सकल प्राप्तियां और नकद में की गई खरीद सहित कुल व्यय पिछले वर्ष के दौरान कुल व्यय के 5% से अधिक नहीं है।

### कर चोरी को रोकने और कर-आधार के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय

- स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के कर दायरे को बढ़ाने के लिए कई नए लेनदेन को इसके दायरे में लाया गया। इन लेन-देन में भारी नकद निकासी, विदेशी प्रेषण, लक्जरी कार की खरीद, ई-कॉमर्स प्रतिभागी, माल की बिक्री, अचल संपत्ति का अधिग्रहण आदि शामिल हैं।
- आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने को बढ़ावा देने के लिए, अधिनियम में एक विशेष प्रावधान जोड़ा गया है ताकि कुछ व्यक्तियों के मामले में उच्च दरों पर कर की कटौती/संग्रह किया जा सके जिन्होंने पिछले दो पिछले दोनों वर्षों के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है और की गई कटौती/एकत्रित कर प्रत्येक दो वर्षों में रु. 50,000 से अधिक था। इसके अलावा, किसी वित्त वर्ष में क्रेता द्वारा 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य के माल की खरीद पर किसी व्यक्ति को भुगतान करने पर 0.1% की दर से



टीडीएस (जिस वित्त वर्ष में बिक्री की जाती है उससे पहले के वित्त वर्ष में 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक की बिक्री/टर्नओवर) देने का प्रावधान भी वित्त अधिनियम 2021 में किया गया है।

### 2021-22 के दौरान कोविड-19 महामारी पर सीबीडीटी की प्रतिक्रिया

- केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न हितधारकों के समक्ष उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए कोविड-19 के प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिए कई नीतियां बनाई हैं।
- दुर्भाग्य से, कुछ करदाताओं को कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। ऐसे करदाताओं के नियोक्ताओं और शुभचिंतकों ने उनके परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की थी ताकि वे अपने परिवार के कमाऊ सदस्य के अचानक चले जाने से उत्पन्न कठिनाइयों का सामना कर सकें। ऐसे करदाता के परिवार के सदस्यों को राहत प्रदान करने के लिए यह घोषणा की गई है कि कोविड-19 के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में नियोक्ता से किसी व्यक्ति के परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त अनुग्रह भुगतान पर 2019-20 और परवर्ती वर्ष में आयकर छूट दी जाएगी। नियोक्ता से प्राप्त राशि पर बिना किसी सीमा के छूट की अनुमति देने का प्रस्ताव है, जबकि किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त राशि पर कुल मिलाकर 10 लाख रुपये की सीमा तक छूट की अनुमति देने का प्रस्ताव है।
- यह देखा गया कि कई करदाताओं ने अपने नियोक्ताओं और शुभचिंतकों से कोविड-19 के इलाज के लिए किए गए अपने खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस खाते पर कोई आयकर देयता उत्पन्न नहीं होती है, यह घोषणा की गई है कि करदाता को 2019-20 और परवर्ती वर्षों के दौरान कोविड-19 के चिकित्सा उपचार के लिए प्राप्त राशि पर आयकर छूट प्रदान की जाएगी।
- केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अनुपालन के लिए समय सीमा भी बढ़ा दी है जैसे विवरण प्रस्तुत करना, आयकर रिटर्न दाखिल करना आदि। आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत विभिन्न आदेश पारित करने की समय सीमा भी कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ा दी गई थी।
- आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है।

### अनुलग्नक 2: वर्ष 2021-22 के दौरान सीबीआईसी द्वारा अप्रत्यक्ष-कर उपाय

#### क. सीमा-शुल्क

सीमा-शुल्क दर संरचना 'मेक इन इंडिया' तथा 'आत्म-निर्भर भारत' पहल के तहत घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की एक सचेत नीति द्वारा निर्देशित है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कच्चे माल पर कम शुल्क लगाने तथा भारत में निर्मित वस्तुओं को उचित टैरिफ सहयोग प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। सीमा शुल्क संरचना को इस तरह से कैलिब्रेट किया गया है कि पेट्रोलियम अन्वेषण, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इत्यादि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहल मिलता है। इस नीति के अनुसार, बीसीडी की एमएफएन दरों में हाल के वर्षों में ऐसी वस्तुओं पर वृद्धि की गई है जिनका निर्माण भारत में किया जा रहा है या घरेलू उद्योग उनका निर्माण करना चाहता है। तदनुसार, पिछले 6 वर्षों के दौरान, लगभग 4000 टैरिफ लाइनों (कुल टैरिफ लाइनों का लगभग 1/3) में बीसीडी के ऊपर की ओर अंशांकन देखा गया है। ऐसी वस्तुओं में धातु, धातु-उत्पाद, ऑटो-पाटर्स, जूते, कपड़े, वस्त्र, निर्दिष्ट रसायन, खिलौने, कुछ मशीनरी, चिकित्सा-उपकरण, कई एमएसएमई वस्तुएं जैसे घंटी, घंटा, चीनी मिट्टी से निर्मित वस्तु, टेबलवेयर, बर्तन, हार्डवेयर, मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी, पंखे, हीटर, हेअरड्रायर, शेवर, टोस्टर, ओवन आदि सहित इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण आदि शामिल हैं। साथ ही, साधन एवं कच्चे माल पर शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है।

मोबाइल फोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी, इलेक्ट्रिक-वाहन, बैटरी, सोलर पैनल आदि जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों के संबंध में चरणबद्ध विनिर्माण योजना (पीएमपी) के तहत, इन उत्पादों की मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों के संबंध में बीसीडी दरों को इस तरह कैलिब्रेट किया जाता है जो घरेलू मूल्यवर्धन के क्रमिक गहनता को प्रोत्साहित करता है। उदाहरणार्थ, मोबाइल फोन के संबंध में, शुरू में, पुर्जों को शून्य बीसीडी के तहत रखा गया था जबकि मोबाइल पर शुल्क लगाया गया था। धीरे-धीरे, भारत में उनका उत्पादन शुरू होने के साथ-साथ चरणबद्ध तरीके से पुर्जों पर शुल्क बढ़ाया गया।

### सीमा-शुल्क कानून तथा प्रक्रिया में परिवर्तन:

- आयात बंदरगाह से सीमा-शुल्क गोदाम तक शुल्क-देय माल की शीघ्र एवं सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए, सीबीआईसी ने अक्टूबर 2021 में ईसीटीएस (इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम) का उपयोग शुरू किया। यह अवधारणा पड़ोसी देशों के लिए कार्गो के लिए पोतांतरण प्रक्रिया से अपनायी गई है।
- सीबीआईसी ने ऑन-बोर्डिंग अधिकृत आर्थिक संचालकों (एईओ) टियर-2 तथा टियर-3 के लिए फाइलिंग, वास्तविक-समय निगरानी और डिजिटल प्रमाणन के लिए ऑनलाइन आवेदन का संस्करण-2 प्रारंभ किया है।
- इसके अतिरिक्त, सीबीआईसी ने प्रमुख फ़ैसले लिए हैं जिससे आयात पर लगने वाला समय तथा शीघ्र सीमा-शुल्क निपटान में उल्लेखनीय कमी आएगी। दिनांक 15 जुलाई 2021 से सुविधा-प्रतिशत को 90 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। इस बढ़ी हुई सुविधा से जुड़ी, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी (डीपीडी) की योजना को पिछले क्लाइंट-आधारित डीपीडी से सीमा-शुल्क दस्तावेज-आधारित डीपीडी में नया रूप दिया गया है।
- सीबीआईसी ने विशुद्ध निर्यातकों के लिए शीघ्र प्रतिअदायगी संवितरण की सुविधा के लिए तथा निर्यात धोखाधड़ी वाले त्रुटिपूर्ण दावों की बेहतर जांच में मदद करने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) की शुरुआत की है।
- सीबीआईसी ने लगभग 12,000 सीमा-शुल्क टैरिफ वस्तुओं के लिए सभी सीमा-शुल्क प्रक्रिया एवं नियामक अनुपालन पर निःशुल्क जानकारी प्रदान करने के लिए भारतीय सीमा शुल्क अनुपालन सूचना पोर्टल (सीआईपी) प्रारंभ किया है।
- देश भर में कंटेनरों की कमी को दूर करने के लिए सीबीआईसी ने निर्यात के लिए कंटेनरों की अधिक उपलब्धता को सक्षम करने के निर्देश जारी किए।
- निर्यात उत्पादों पर शुल्क एवं कर छूट योजना हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट/इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप (ई-स्क्रिप) के रूप में निर्यात छूट जारी करने में सक्षम बनाती है जिसे सीबीआईसी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक खाता में रखा जाएगा। इस संशोधित एंड-टू-एंड स्वचालित योजना का उद्देश्य विदेशों में घरेलू उद्योग को एक समान अवसर प्रदान करके भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना है।
- आपसी सहयोग के लिए सीमा-शुल्क से संबंधित विभिन्न मामलों पर मालदीव, अमेरिका, ब्रिक्स आदि देशों के साथ भारतीय सीमा शुल्क द्वारा विभिन्न समझौतों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे पूरे देश में माल की आवागमन में सुविधा होगी।



## ख. संघ उत्पाद शुल्क

देश में पेट्रोल एवं डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य को कच्चे-तेल की कीमतों से जोड़ा जाता है। इस वर्ष कच्चे-तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। पिछले कुछ महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। भारतीय बास्केट ऊपर की ओर बढ़ रहा है और अक्टूबर 2021 में 84 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया। डॉलर विनिमय दर भी उर्ध्वगामी थी और 75 रुपये प्रति अमरीकी डालर के आसपास रही है जो पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों को भी प्रभावित कर रही थी। इस पृष्ठभूमि में, पेट्रोल तथा डीजल पर उत्पाद शुल्क को पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से युक्तिसंगत बनाया गया था। इस कदम के बाद कई राज्यों एवं केंद्र-शासित प्रदेशों ने भी उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल तथा डीजल पर वैट कम किया है।

## ग. वस्तु एवं सेवा कर

राज्यों, स्थानीय निकायों आदि के भिन्न-भिन्न दरों की बहुलता को 'एक कर तथा एक सरल प्रक्रियात्मक व्यवस्था' के साथ जीएसटी ने एक असंख्य तथा जटिल दर संरचना को बड़े व्यापकता से समेकित किया है। सुधार का पैमाना विशाल था और कानून तथा व्यवस्था एक समावेशी तरीके से विकसित हुआ। इसमें सभी हितधारकों की व्यापक भागीदारी रही। जीएसटी में अत्यंत संवेदनशील तरीके से निरंतर सुधार किए जा रहे हैं, जीएसटी परिषद तेजी से प्रतिक्रिया दे रही है, त्रुटियों को तीव्रता से दूर किया जा रहा है, और समय पर आवश्यक परिवर्तन किए जा रहे हैं। जीएसटी दरों के अंशांकन का एक बड़ा प्रयास भी किया गया ताकि दरें तय की जा सकें और राजस्व तटस्थता बनाए रखी जा सके। वर्ष 2021 के दौरान वस्तु एवं सेवा पर जीएसटी दरों में किए गए कुछ परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- 45वीं तथा 46वीं जीएसटी परिषद में, कपड़ा एवं जूते पर क्रम-भंग शुल्क संरचना को सुधार हेतु जीएसटी दर संरचना को अंशांकन करने के लिए फिटमेंट कमेटी की सिफारिश पर चर्चा की गई। तदनुसार, 1000 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक बिक्री मूल्य के जूते के लिए 12% जीएसटी निर्धारित करके कपड़ा में शुल्क व्युत्क्रमण को सुधार करने का निर्णय लिया गया।
- दिनांक 1.4.2022 से ईट भट्टों को 20 लाख रुपये की सीमा के साथ विशेष संयोजन योजना के तहत लाया जाएगा। योजना के तहत आईटीसी-रहित ईटों पर 6% की दर से जीएसटी लगेगा। आईटीसी के साथ 12% की जीएसटी दर ईटों पर लागू होगी।
- सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी मध्याह्न भोजन योजना के तहत मध्याह्न भोजन सहित अन्य भोजन देने के लिए आंगनवाड़ी (जो पूर्व-विद्यालय शिक्षा भी प्रदान करता है) सहित किसी भी शैक्षणिक संस्थान को आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं को जीएसटी वसूली से छूट दी गई है, भले ही ऐसी आपूर्ति सरकारी अनुदान द्वारा वित्तपोषित हो या कॉर्पोरेट दान से।
- प्रवेश परीक्षा सहित परीक्षा के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जहां ऐसी परीक्षाओं के लिए शुल्क लिया जाता है, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई), या इसी तरह के केंद्रीय या राज्य शैक्षिक बोर्ड तथा उससे संबंधित निविष्ट सेवाओं को जीएसटी से छूट प्राप्त है।
- विमानन क्षेत्र की एमआरओ इकाइयों को जहाज/जहाज की एमआरओ इकाइयों को प्रदान की गई समान व्यवस्था का विस्तार करने के लिए, ताकि घरेलू शिपिंग एमआरओ को विदेशी एमआरओ की तुलना में समान अवसर प्रदान किया जा सके, जहाजों के संबंध में एमआरओ सेवाओं पर जीएसटी/जहाजों को घटाकर 5% (18% से) कर दिया गया। जहाजों/जहाजों के संबंध में एमआरओ सेवाओं की बी2बी आपूर्ति का पीओएस सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान होगा।

**जीएसटी कानून तथा प्रक्रिया में बदलाव:** वर्ष 2021-22 में जीएसटी के तहत व्यापार सहूलियत तथा 'व्यापार में सुगमता, के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए:

- लंबित जीएसटीआर-3बी रिटर्न पर जमा हुई उच्च राशि के विलंब शुल्क से करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए, जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक की कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में लंबित रिटर्न के संबंध में एक विलंब शुल्क माफी योजना लाई गई।
- छोटे करदाताओं पर विलंब शुल्क भार को कम करने के लिए, विलंब शुल्क संरचना (सीजीएसटी अधि नियम की धारा 47 के तहत) को जून 2021 से संभावित कर अवधि के लिए कर देयता/करदाताओं का कारोबार के साथ विलंब शुल्क की ऊपरी सीमा को संशोधित करके युक्तिसंगत बनाया गया।
- करदाताओं की सुविधा तथा सकल कर आधार या शुद्ध नकद आधार पर ब्याज के भुगतान के संबंध में अस्पष्टता और विवादों को दूर करने में मदद करने के लिए दिनांक 01.07.2017 से शुद्ध नकद आधार पर ब्याज भुगतान प्रदान करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 का पूर्वव्यापी संशोधन किया गया था।
- जॉब वर्कर को भेजे गए तथा जॉब वर्कर से प्राप्त सभी वस्तुओं के विवरण वाले फॉर्म जीएसटी आईटीसी-04 रिटर्न दाखिल करने की त्रैमासिक आवश्यकता के बजाय, विगत वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये तक के लिए यह वार्षिक और विगत वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं के लिए यह अर्द्ध-वार्षिक आवश्यकता बना दिया गया है।

#### कोविड संबंधित राहत उपाय

वर्ष 2021-22 के दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी सामग्रियों की सीमा-शुल्क निपटान की सुविधा के लिए सीबीआईसी द्वारा कई उपाय किए गए।

- सीबीआईसी ने रेमेडिसविर इंजेक्शन, रेमेडिसविर एपीआई तथा बीटा साइक्लोडेक्सट्रिन (एसबीईबीसीडी) जिसका उपयोग रेमेडिसविर के निर्माण में किया जाता है, के आयात पर सीमा-शुल्क में छूट देने के लिए अधिसूचना जारी की थी (31 अक्टूबर 2021 तक)। ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों से संबंधित विभिन्न वस्तुओं पर भी आयात सीमा शुल्क में छूट देने के लिए अधिसूचना जारी किया गया था (तीन महीने की अवधि के लिए)।
- कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान, सीमा शुल्क ने देश में लगभग 7.5 लाख ऑक्सीजन सांद्रता के आयात की सुविधा प्रदान की। देश भर में तरल ऑक्सीजन ले जाने के लिए 97 क्रायोजेनिक आईएसओ टैंकों के आयात के लिए 75 से अधिक आईएफ लैंडिंग की सुविधा प्रदान की गई। उच्च प्राथमिकता वाले अन्य उत्पादों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, उपकरण, वेंटिलेटर, रेमेडिसविर इंजेक्शन तथा इसके कच्चे माल, डायग्नोस्टिक किट मार्कर आदि शामिल हैं।
- कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण जीएसटी कानून के तहत वैधानिक एवं नियामक अनुपालनों को पूरा करने में करदाताओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों को देखते हुए, सरकार ने करदाताओं के लिए विभिन्न राहत उपायों की अधिसूचना जारी की। इनमें से कुछ उपायों में विलंबित कर भुगतान के लिए ब्याज दर में कमी, विलंब शुल्क की छूट, रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख का विस्तार, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168ए के तहत वैधानिक समय सीमा का विस्तार शामिल है। देश भर में व्यापार को संभालने तथा व्यापार संबंधी शिकायतों का निपटान हेतु एक समर्पित हेल्पडेस्क स्थापित किया गया।